भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

प्रतिवेदन

1976-77

संघ सरकार (सिविल)

विषय-सूची

		संदर्भ पैरा	पृष्ठ
	प्रस्तावनात्मक टिप्पणी . .		(iii)
अध्याय I	सामान्य	1—21	1
अध्याय II	विनियोग लेखा परीक्षा और व्यय पर नियंत्रण . . .	22—26	31
अध्याय III	सिविल विभाग		
	कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग)		
	विभागीय पेशगियां . . .	27	42
	बट्टे खाते डाली गई/छोड़ दी गई हानियां तथा वसूल न हो सकने योग्य राशियां और अनुग्रहपूर्वक की गई अदायगियां	28	46
अध्याय IV	निर्माण-कार्य व्यय		
	निर्माण और आवास मंत्रालय		
	गया में भंडारण कोठियों का निर्माण	29	47
	जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय (सीमा सड़क विकास बोर्ड)		
	सड़क परियोजना का निष्पादन .	30	50
अध्याय V	सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता	31	55
अध्याय VI	विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रम		
	सामान्य	32	56
	कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग)		
	पटपड़गंज, दिल्ली में मदर डेरी की स्थापना	33	59
अध्याय VII	बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियां और निरीक्षण प्रतिवेदन		
	बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियां .	34	62
	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन	35	65

		पृष्ठ संख्या
	परिशिष्ट	
परिशिष्ट I	मुख्य निवेश और लाभांश . . .	70
परिशिष्ट II	सरकारी कम्पनियों, गैर-सरकारी संस्थाओं, स्थानीय निधियों, खेतिहरों आदि को दिए गए कर्जों और पेशगियों की वसूली की बकाया राशियां . .	75
परिशिष्ट III	पूरक अनुदानों/विनियोगों के उपयोग की सीमा .	82
परिशिष्ट IV	दत्तमत अनुदानों के अन्तर्गत बचत . .	85
परिशिष्ट V	वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाली गई/छोड़ दी गई हानियों और वसूल न हो सकने योग्य राजस्व, शुल्क, पेशगियों आदि और अनुग्रहपूर्वक की गई अदायगियों को दर्शाने वाला विवरण . . .	87
परिशिष्ट VI	सांविधिक निकायों, गैर-सरकारी संस्थाओं या निकायों और व्यक्तियों को सहायक अनुदान . .	89

प्रस्तावनात्मक टिप्पणी

संघ सरकार के वर्ष 1976-77 के लेखे प्रस्तुत किए जाने तक संघ सरकार (सिविल) का वर्ष 1976-77 का एक अग्रिम प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 1976-77 के संघ सरकार के लेखाओं को अन्तिम रूप दिए जाने के फल-स्वरूप यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। यह मुख्यतः 1976-77 के संघ सरकार (सिविल) के विनियोग लेखे और संघ सरकार के 1976-77 के वित्त लेखे से उद्भूत मामलों से संबंधित है। कुछ ऐसे मामलों का भी उल्लेख किया गया है जो वर्ष 1976-77 में या पिछले वर्षों में नमूना लेखापरीक्षा के दौरान देखने में तो आए थे किन्तु जिन्हें पिछले प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किया जा सका था; जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, 1976-77 के बाद की अवधि से संबंधित मामले भी शामिल कर लिए गए हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित बातों का अभिप्राय न तो संबंधित विभागों/प्राधिकारियों के वित्तीय प्रशासन पर किसी प्रकार का सामान्य आक्षेप व्यक्त करना है और न ही उनका यह अर्थ समझा जाए।

अध्याय I

I—सामान्य

1976-77 के दौरान मूल बजट अनुमान और वास्तविक राजस्व प्राप्तियां, राजस्व से पूरा किया गया व्यय और पूंजीगत लेखे में व्यय पिछले दो वर्षों के तदनुरूपी आंकड़ों सहित नीचे दिखाए जाते हैं :—

		बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	विभिन्नता (करोड़ रुपयों में)	विभिन्नता की प्रतिशतता
राजस्व प्राप्तियां*	1974-75	@6338.09	7260.11	+922.02	+14.5
	1975-76	@7913.84	8932.12	+1018.28	+12.9
	1976-77	@9188.57	9749.27	+560.70	+6.1
राजस्व से पूरा किया गया व्यय .	1974-75	@6080.29	6495.82	+415.53	+6.8
	1975-76	@7265.42	8045.24	+779.82	+10.7
	1976-77	@8653.56	9468.94	+815.38	+9.4
पूंजीगत लेखे में व्यय .	1974-75	1223.13	1630.20	+407.07	+33.3
	1975-76	1532.75	2250.45	+717.70	+46.8
	1976-77	1889.28	1850.51	—38.77	—2.1

*इसमें राज्यों को आय पर कर और सम्पदा शुल्क की प्रभाज्य प्राप्तियों के संबंध में उनके भाग की अदायगी और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को कृषि भूमि पर संपदा शुल्क के उनके भाग की अदायगी शामिल नहीं है, जिन्हें राजस्व प्राप्तियों की कमी के रूप में दिखाया जाता है । तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को की गई ऐसी अदायगियां निम्नलिखित थी :—

	1974-75	1975-76	1976-77
		(करोड़ रुपयों में)	
आय पर कर	516.16	734.10	652.24
सम्पदा शुल्क	10.03	8.21	9.52

@ऊपर दिखाए गए राजस्व प्राप्तियों के बजट अनुमानों में बजट प्रस्तावों के परिणाम-स्वरूप राज्यों को 1974-75, 1975-76 और 1976-77 के दौरान देय संघ उत्पाद-शुल्क के भाग के रूप में क्रमशः 25.70 करोड़ रु०, 46.84 करोड़ रु० और 5.15 करोड़ रु० शामिल हैं। ऊपर दिखाए गए राजस्व से पूरे किए गये व्यय के बजट अनुमानों के आंकड़ों में ये राशियां शामिल नहीं हैं।

1976-77 के दौरान राजस्व प्राप्तियों और राजस्व से पूरा किया गया व्यय बजट अनुमानों से क्रमशः 560.70 करोड़ रु० और 815.38 करोड़ रु० बढ़ गया । किन्तु पूंजीगत लेखे पर व्यय बजट अनुमानों से 38.77 करोड़ रु० कम था।

वर्ष के दौरान व्यय के लिए पूरक अनुदान प्राप्त किए, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व से पूरे किए गए व्यय और पूंजीगत लेखे पर व्यय के उपरोक्त अनुमान क्रमशः 1067.79 करोड़ रु० और 197.61 करोड़ रु० बढ़ाने थे।

राजस्व प्राप्तियों के और अधिक ब्यौरे राजस्व प्राप्तियों के प्रतिवेदन में दिए गए हैं।

II-समग्र व्यय (राजस्व और पूंजीगत)

2. 1976-77 के दौरान मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत राजस्व लेखे के व्यय की उसके अन्तर्गत किए गए निधियों के प्रावधान से तुलना निम्नलिखित तालिका में की गई है :—

व्यय का शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	विभिन्नता
			(करोड़ रुपयों में)
राज्य के अंग	90.68	80.40	—10.28
राज वित्तीय सेवाएं . . .	279.49	321.39	+41.90
ब्याज की अदायगी और ऋण शोधन . .	1351.85	1374.44	+22.59
प्रशासनिक सेवाएं . . .	361.07	389.97	+28.90
पेंशन और विविध सामान्य सेवाएं . .	141.67	138.84	—2.83
सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं . .	577.72	609.04	+31.32
सामान्य आर्थिक सेवाएं . . .	252.72	337.78	+85.06

व्यय का शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	विभिन्नता
			(करोड़ रुपयों में)
कृषि और संबद्ध सेवाएं . . .	447.78	718.05	+270.27
उद्योग और खनिज . . .	262.78	253.98	—8.80
जल और विद्युत विकास . . .	106.32	86.92	—19.40
परिवहन और संचार . . .	99.06	102.72	+3.66
सहायक अनुदान और अंशदान . .	2396.79	2708.21	+311.42
रक्षा सेवाएं	2285.63	2347.20	+61.57
जोड़ . . .	8653.56	9468.94	+815.38

3. पिछले दो वर्षों के व्यय की तुलना में 1976-77 का व्यय नीचे दिखाया गया है :—

	1974-75	1975-76	1976-77
			(करोड़ रुपयों में)
राज्य के अंग	59.80	74.77	80.40
राज वित्तीय सेवाएं . . .	126.36	189.17	321.39
ब्याज की अदायगी और ऋण शोधन . .	1000.76	1228.16	1374.44
प्रशासनिक सेवाएं . . .	320.37	388.77	389.97
पेंशन और विविध सामान्य सेवाएं . .	23.17	196.07	138.84
सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं . .	427.60	519.76	609.04
सामान्य आर्थिक सेवाएं . . .	132.48	203.58	337.78
कृषि और संबद्ध सेवाएं . . .	404.60	365.28	718.05
उद्योग और खनिज . . .	137.67	251.57	253.98
जल और विद्युत विकास . . .	48.62	78.63	86.92
परिवहन और संचार . . .	75.57	97.07	102.72
सहायक अनुदान और अंशदान . .	1818.61	2201.27	2708.21
रक्षा सेवाएं	1920-21	2251.14	2347.20

4. पिछले पैराग्राफ में उल्लिखित कुछ शीर्षों के अन्तर्गत व्यय में अंतर का विश्लेषण नीचे किया गया है :—

	1974-75	1975-76	1976-77
			(करोड़ रुपयों में)
(क) राज वित्तीय सेवाएं :—			
आय और व्यय पर कर की वसूली . .	31.21	38.81	39.29
सीमा शुल्क	16.83	*19.09	21.74
संघ उत्पाद-शुल्क . . .	23.52	*30.63	30.40
मुद्रा सिक्का ढलाई और टकसाल . .	38.57	70.94	81.50

वृद्धि मुख्यतः (i) एस० डी० आर० लेखे के प्रशासन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अधिक अदायगियों और (ii) सामग्री की अधिक खरीद, सिक्योरिटी पेपर मिल द्वारा आपूर्त किए गए कागज के लिए प्रभारित दर में पूर्वव्याप्ति प्रभाव से 1-4-1974 से वृद्धि होने के फलस्वरूप बकाया राशि की अदायगी किए जाने और सुपर सिमल्टन और गिलोटिन मशीन के लगाए जाने के कारण हुई।

अन्य राज वित्तीय सेवाएं . .	2.43	6.49	120.74

वृद्धि मुख्यतः अतिरिक्त महंगाई भत्ता जमा लेखे पर ब्याज की अधिक अदायगी के कारण हुई।

अन्य शीर्ष	**13.80	**23.21	27.72
जोड़ . . .	126.36	189.17	321.39
(ख) प्रशासनिक सेवाएं :—			
पुलिस	162.55	209.10	207.06
लोक निर्माण कार्य . . .	17.84	24.62	16.02
विदेश मंत्रालय	34.45	49.05	59.62

*बाद के संशोधनों के कारण वर्ष 1975-76 के लिए संघ सरकार (सिविल) के भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में दिखाए गए आंकड़ों से भिन्न हैं।

**अन्य राज वित्तीय सेवाएं शीर्ष से संबंधित आंकड़ों को अलग से दिखाए जाने के कारण वर्ष 1975-76 के लिए संघ सरकार (सिविल) के भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में दिखाए गए आंकड़ों से भिन्न हैं।

वृद्धि मुख्यतः विदेशों में स्थित मिशनों में स्थापना पर अधिक व्यय के कारण हुई।

	1974-75	1975-76	1976-77
			(करोड़ रुपयों में)
अन्य प्रशासनिक सेवाएं . . .	28.86	32.52	28.72
अन्य शीर्ष	78.67	73.48	78.55
जोड़ . . .	320.37	388.77	389.97
(ग) सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं :—			
शिक्षा	141.85	175.77	195.35

वृद्धि मुख्यतः (i) वेतन संशोधन के कारण उन स्वायत्त निकायों/संगठनों और शिक्षा संस्थाओं, जिनका वित्त पोषण सरकार से प्राप्त अनुदानों द्वारा होता है, के कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ते तथा वेतन की बकाया राशि की अदायगी, (ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अधिक अनुदान देने तथा (iii) प्राथमिक शिक्षा के लिए दिल्ली नगर निगम को अधिक अनुदान दिए जाने के कारण हुई।

वैज्ञानिक सेवाएं तथा अनुसंधान . .	112.02	134.08	155.93

वृद्धि मुख्यतः (i) भारतीय सर्वेक्षण विभाग के लिए एयरफोटोग्राफी हेतु भारतीय वायु सेना को बकाया राशि की अदायगी, (ii) अंतरिक्ष विभाग पर अधिक व्यय और (iii) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् को अधिक अनुदान के कारण है।

चिकित्सा	30.36	37.17	42.40
लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल प्रदाय . .	9.00	11.38	13.56
प्रसारण	22.06	29.61	47.66

वृद्धि मुख्यतः (i) वाणिज्यिक सेवाओं से निवल राजस्व का आकाशवाणी और दूरदर्शन वाणिज्यिक निधि को अन्तरण, और (ii) 1 जनवरी, 1973 से पूर्वव्यापी प्रभाव से स्टाफ के कलाकारों के वेतनमानों के संशोधन के परिणामस्वरूप बकाया राशि की अदायगी के कारण हुई।

श्रम और रोजगार . . .	22.40	31.90	42.29

वृद्धि मुख्यतः औद्योगिक मजदूरों और कोयला खान मजदूरों के लिए परिवार पेंशन एवं जीवन बीमा निधि और जमा-सम्बद्ध बीमा योजना के प्रति सरकार का अधिक अंशदान होने के कारण हुई।

	1974-75	1975-76	1976-77
			(करोड़ रुपयों में)
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण . .	47.88	53.22	50.35
अन्य शीर्ष	42.03	46.63	61.50
जोड़ . . .	427.60	519.76	609.04

ऊपर (ग) पर दिए गए व्यय में विकास प्रयोजनों के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को दिए गए अनुदान शामिल नहीं हैं जो कि सहायक अनुदान और अंशदान के अन्तर्गत दर्ज किया जाता है।

(घ) सहायक अनुदान और अंशदान :—			
राज्यों को संघ उत्पाद-शुल्क के उनके भाग की अदायगियां :— . . .	702.54	856.71	1027.98
राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अनुदान			
(i) संविधान के अनुच्छेद 275 (i) के परन्तुक के अधीन . .	363.41	(क) 38.35	57.42
(ii) (राजस्व का वितरण) आदेश के अधीन अनुदान .	..	503.12	500.44
(iii) रेल यात्री भाड़े पर कर के बदले में अनुदान . . .	16.25	16.25	16.25
(iv) संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अनुदान . . .	39.90	70.74	74.19
(v) अन्य अनुदान और अंशदान .	696.51	(क) 716.10	1031.93
जोड़ . . .	1818.61	2201.27	2708.21
(ङ) आर्थिक सेवाएं :—			
सामान्य आर्थिक सेवाएं . . .	132.48	203.58	337.78

(क) ये आंकड़े बाद के संशोधन के कारण वर्ष 1975-76 के लिए संघ सरकार (सिविल) के भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में दर्शाए गए आंकड़ों से भिन्न हैं।

वृद्धि मुख्यतया शीर्ष 'विदेश व्यापार एवं निर्यात प्रोत्साहन' के अन्तर्गत इन कारणों से हैं —(i) निर्यात प्रोत्साहन सम्बन्धी उपायों पर अधिक व्यय, अन्य संगठनों से किए जाने वाले निर्यात को सहायता और भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान द्वारा 1965 के युद्ध के दौरान और उसके पश्चात् जब्त की गई सम्पत्ति के लिए अनुग्रहपूर्वक अदायगी, (ii) चीनी पर निर्यात सम्बन्धी आर्थिक सहायता और (iii) विदेशी सरकारों को दिए गए क्रेडिट पर स्टेट बैंक आफ इण्डिया को ब्याज सम्बन्धी आर्थिक सहायता की अदायगी।

	1974-75	1975-76	1976-77
			(करोड़ रुपयों में)
कृषि और सम्बद्ध सेवाएं . . .	404.60	365.28	718.05

वृद्धि मुख्यतया —(i) फास्फोरस पूरक उर्वरक के देशज विनिर्माताओं को आर्थिक सहायता और (ii) भारतीय खाद्य निगम को पिछले वर्षों से सम्बन्धित आर्थिक सहायता की बकाया राशि के 106 करोड़ रु० की अदायगी सहित अधिक आर्थिक सहायता दिए जाने के कारण हुई है।

उद्योग और खनिज . . .	137.67	251.57	253.98
जल और विद्युत विकास . . .	48.62	78.63	86.92
परिवहन और संचार . . .	75.57	97.07	102.72
जोड़ . . .	798.94	996.13	1499.45

5. 1976-77 के बजट अनुमानों की तुलना में पूंजीगत लेखे में बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुई बचत से मिलकर बनी थी :—

शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	(+) बचत
			(करोड़ रुपयों में)
रक्षा सेवाएं	258.37	215.34	43.03
खनन और धातु कर्म उद्योग . .	381.48	304.49	76.99
पत्तन, दीपघर और जहाजरानी . .	44.58	20.61	23.97
रेलवे	259.50	190.03	69.47

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत बचत का अन्य शीर्षों के अन्तर्गत अधिक व्यय से आंशिक प्रतिसंतुलन हो गया जिसके परिणामस्वरूप 38.77 करोड़ रु० की निवल बचत हुई।

6. 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों के दौरान पूंजीगत लेखे में व्यय और 1976-77 के अन्त तक प्रगामी पूंजीगत परिव्यय को भी निम्न सारणी में दिखाया गया है :—

	1974-75	1975-76	1976-77	1976-77 के अन्त तक कुल पूंजीगत परिव्यय
				(करोड़ रुपयों में)
मुद्रा, सिक्का ढलाई और टकसाल	10.96	232.92	73.57	1082.46
लोक निर्माण-कार्य . .	10.85	11.39	15.94	*165.57
रक्षा सेवाएं . .	192.06	221.15	215.34	2621.17
वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान	25.08	35.82	33.12	115.89
आवास . . .	12.48	18.62	30.20	*145.76
प्रसारण . . .	7.89	12.21	14.30	*81.61
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण .	2.51	5.85	6.38	(क) 81.06
सहकारिता . .	0.19	13.34	23.10	*135.11
सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं में निवेश . .	6.51	60.08	2.25	208.50
अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश . . .	9.90	0.15	0.56	162.31
कृषि . . .	367.83	255.88	62.85	*802.92
मशीनरी और इंजीनियरी उद्योग .	7.73	53.01	33.17	483.05
पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक उद्योग . .	196.61	329.66	380.62	1622.43
वायुयान और जहाज निर्माण उद्योग	2.66	2.10	2.10	(ख) 101.88
उपभोक्ता उद्योग . .	29.30	27.68	104.71	211.09
परमाणु ऊर्जा विकास . .	32.06	35.89	44.98	420.98
खनन और धातु कर्म उद्योग .	202.78	269.56	304.49	2552.14
सिंचाई, नौ परिवहन, जल निकासी और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं	10.37	8.14	9.61	170.35
पत्तन, दीप घर और जहाजरानी .	24.82	23.14	20.61	208.76
सिविल विमानन . .	12.73	10.08	13.54	229.27
सड़कें और पुल . .	79.19	72.60	84.05	*1025.68
रेलवे . . .	219.22	250.87	190.03	*4557.22
डाक-तार . . .	56.26	79.41	25.44	(क) 553.21
अन्य मदें . . .	110.21	220.90	159.55	*1132.48
जोड़ . .	1,630.20	2,250.45	1,850.51	18,870.90

*प्रोफार्मा शुद्धियां समाविष्ट करके शेष निकाले गये हैं।

(क) पूर्णांकन के कारण 0.01 करोड़ रु० की प्रोफार्मा वृद्धि हुई।

(ख) पूर्णांकन के कारण 0.01 करोड़ रु० की प्रोफार्मा कमी हुई।

7. सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी बैंकों और समितियों आदि में सरकार का कुल निवेश मार्च 1977 तक* 5 852.51 करोड़ रु० था। इस निवेश की तुलना में 1976-77 के दौरान लाभांश के रूप में हिसाब में ली गई राशि 34.44 करोड़ रु० थी; इसमें (क) भारतीय तेल निगम (5.69 करोड़ रु०), (ख) भारतीय राज्य व्यापार निगम (1.50 करोड़ रु०) और (ग) खनिज और धातु व्यापार निगम (1.35 करोड़ रु०) से प्राप्त लाभांश शामिल है और इन कम्पनियों में 1976-77 के अन्त तक कुल निवेश 101.08 करोड़ रु० है। पिछले दो वर्षों में लाभांश 21.35 करोड़ रु० (1975-76) और 27.16 करोड़ रु० (1974-75) था। मुख्य निवेशों और लाभांशों के ब्यौरे परिशिष्ट I में दिए गए हैं। रेलवे और डाक-तार से 1976-77 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों के दौरान** ब्याज को निकालकर सरकार द्वारा प्राप्त अंशदान निम्नलिखित हैं :—

	1974-75	1975-76	1976-77
		(करोड़ रुपयों में)	
रेलवे	−8.10***	−11.49	−14.86
डाक-तार	1.03	1.05	0.93

रेलवे के ऊपर दिखाए गए अंशदान में रेलवे यात्रा भाड़ों पर कर के स्थान पर अनुदानों के रूप में राज्य सरकारों को भुगतान के लिए प्रतिवर्ष

---

*इन आंकड़ों में बोनस शेयरों, निवेश के रूप में मानी गई दान सामग्री और नकद आदि की बजाय अन्य प्रतिफलों से अन्तरित किए गए शेयरों का मूल्य शामिल हैं। वित्त लेखे, संघ सरकार, 1976-77 की विवरण संख्या 13 भी देखें।

**1976-77 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा रेलवे और डाक-तार से प्राप्त हुआ ब्याज निम्नलिखित था :—

	1974-75	1975-76	1976-77
		(करोड़ रुपयों में)	
रेलवे	177.58	191.65	@232.94
डाक-तार	20.16	24.34	27.63

@इसमें शीर्ष "अन्य प्राप्तियां" से सम्बन्धित 27.28 करोड़ रु० का गलत समायोजन शामिल है।

***इसमें 1973-74 में देय 15.79 करोड़ रु० शामिल नहीं हैं, जो वास्तव में 1974-75 में अदा किए गए थे।

प्राप्त हुए 16.25 करोड़ रु० शामिल नहीं हैं; 1974-75, 1975-76 और 1976-77 के दौरान बचाव कार्यों के लिए अंशदान के रूप में रेलवे द्वारा अदा किए गए क्रमशः 1.74 करोड़ रु०, 1.73 करोड़ रु० और 2.00 करोड़ रु० भी ऊपर दिखाए गए आंकड़ों में शामिल नहीं किए गए हैं।

राजस्व लेखे से बाहर प्राप्तियां और संवितरण

8. 31 मार्च 1977 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों के दौरान राजस्व लेखे से बाहर प्राप्तियों और संवितरणों का व्यापक विश्लेषण निम्न सारणी में दिया गया है :—

	1974-75	1975-76	1976-77
			(करोड़ रु० में)
(क) प्राप्तियां —			
समेकित निधि—			
(i) विविध पूंजीगत प्राप्तियां	170.59	243.74	0.30
(ii) आंतरिक ऋण (खजाना बिलों तथा तदर्थ खजाना बिलों से इतर)* .	802.00	995.86	1282.00
(iii) बाह्य ऋण . . .	857.65	1415.52	1376.71
(iv) राज्य सरकारों आदि द्वारा कर्जों और पेशगियों की वापस अदायगी	1191.49	1485.52	1287.22
आकस्मिकता निधि . . .	..	..	20.00
लोक लेखा अल्प बचत, भविष्य निधियां आदि (निवल) . . .	455.43	974.41	1482.83
आरक्षित निधियां (निवल) . .	24.56	−47.28	113.23

*इस शीर्ष के सामने दिखाई गई प्राप्तियों में दिनांकित प्रतिभूतियों में तदर्थ खजाना बिलों के रूपांतरण के कारण 1974-75, 1975-76 और 1976-77 के प्रत्येक के दौरान 100 करोड़ रु० शामिल हैं (देखें पैराग्राफ 10)।

जमा और पेशगियां (निवल) . .	220.64	−187.48	−71.07
उचंत और विविध (निवल) . .	−335.70	−107.07	209.94
प्रेषण (निवल) . . .	105.66	−1.01	4.01
राजस्व लेखे से बाहर कुल प्राप्तियां . .	,3492.32	4,772.21	5,705.17
जोड़ें—खजाना बिलों और तदर्थ खजाना बिलों को जारी करके लिया गया ऋण (निवल) . . .	679.98	745.65	−441.80
कुल जोड़ . .	4,172.30	5,517.86	5,263.37
(ख) अदायगियां—			
पूंजीगत परिव्यय—सिविल . .	1,162.66	1,699.02	1,419.70
पूंजीगत परिव्यय— . . .	219.22	250.87	190.03
रेलवे			
पूंजीगत परिव्यय—			
डाक-तार	56.26	79.41	25.44
पूंजीगत परिव्यय—			
रक्षा	192.06	221.15	215.34
जोड़ . . .	1,630.20	2,250.45	1,850.51
ऋण की वापस अदायगी			
केन्द्रीय सरकार द्वारा कर्जे और पेशगियां .	2,629.24	3,151.37	3,517.40
आकस्मिकता निधि को विनियोग . .	..	..	20.00
ऋण की वापस अदायगी—			
आंतरिक ऋण (खजाना बिलों और तदर्थ खजाना बिलों से इतर) . .	218.72	212.74	281.70
बाह्य ऋण	307.07	343.77	370.03
अन्तर्राज्यीय परिशोधन . . .	0.37	(क)	..

(क) वास्तविक राशि 2,272 रु० है।

राजस्व लेखे से बाहर कुल व्यय . .	4,785.60	5,958.33	6,039.64
उपरोक्त उप-पैराग्राफ (क) के अनुसार कुल प्राप्तियां	4,172.30	5,517.86	5,263.37
राजस्व लेखे से बाहर शीर्षों से संबंधित प्राप्तियों की तुलना में अधिक व्यय . .	−613.30	−440.47	−776.27
राजस्व अधिशेष (+) . . .	+764.29	+886.88	+280.33
निवल अधिशेष (+) घाटा (—) . .	+150.99	+446.41	−495.94

यह देखने में आएगा कि यदि प्रत्येक वर्ष के दौरान खजाना बिलों का निवल विस्तार और 100 करोड़ रु० के तदर्थ खजाना बिलों के दिनांकित प्रतिभूतियों में रूपांतरण को हिसाब में लिया जाए तो 1974-75, 1975-76 और 1976-77 के दौरान कुल घाटा क्रमशः 628.99 करोड़ रु०, 399.24 करोड़ रु० और 154.14 करोड़ रु० हुआ।

(ग) वर्ष 1976-77, 327.67 करोड़ रु० (बजट) और 325.02 करोड़ रु० (संशोधित अनुमान जिसमें 100 करोड़ रु० के तदर्थ खजाना बिलों का दिनांकित प्रतिभूतियों में रूपांतरण शामिल नहीं है) के मुकाबले में 154.14 करोड़ रु० के घाटे के साथ समाप्त हुआ। घाटे का विश्लेषण निम्न सारणी में दिया गया है :—

	बजट	वास्तविक आंकड़े	अन्तर
			(करोड़ रु० में)
खजाना बिल और तदर्थ खजाना बिल (निवल)	327.35	−441.80	+769.15
तदर्थ खजाना बिलों का दिनांकित प्रतिभूतियों में रूपान्तरण . . .	..	100.00	−100.00
रोकड़ शेषों में कमी . . .	+0.32	+495.94	−495.62
जोड़ . . .	327.67	154.14	+173.53

III—ऋण

9. (का) 1955-56, 1975-76 और 1976-77 के अंत में लोक ऋण और अल्प बचत, भविष्य निधि आदि के अन्तर्गत बकाया राशियां निम्न सारणी में दिखाई गई हैं :—

	31 मार्च, 1956	31 मार्च, 1976	31 मार्च, 1977
			(करोड़ रु० में)
लोक ऋण—			
(क) आंतरिक ऋण—			
(i) बाजार कर्जे	1569	7107	8052
(ii) खजाना बिल	595	1064	(क) 1777
(iii) तदर्थ खजाना बिल		4746	(क) 3592
(iv) अन्य आंतरिक बिल	189	982	1038
(ख) बाह्य ऋण	111	7489	(ख) 8610
(ग) अल्प बचत, भविष्य निधियां आदि—			
(i) अल्प बचत संग्रहण	576	3945	4358
(ii) भविष्य निधियां	169	1537	(ख) 1722
(iii) अन्य लेखे	13	524	(ख) 1629
जोड़	3222	27394	30778

(खा) जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, आरक्षित निधियों और जमा लेखे के क्रेडिट के निवल शेष भी सरकार की देयताएं हैं, क्योंकि इन्हें अलग से निवेशित नहीं किया गया है बल्कि वे सरकार के सामान्य रोकड़ शेष में मिली हुई है :—

	31 मार्च 1956	31 मार्च, 1976	31 मार्च, 1977
			(करोड़ रु० में)
ब्याज वाली आरक्षित निधियां		489.28	(ख) 593.52
बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां		404.72	(ख) 424.73
ब्याज वाली जमा	(भ) 188.96	327.75	(ख) 436.57
बिना ब्याज वाली जमा	(म) 233.14	(ग) 1535.52	(ख) 1375.12

(क) इसमें प्रोफार्मा शुद्धियों का प्रभाव शामिल है। पृष्ठ 15 पर टिप्पणी भी देखें।

(ख) इसमें प्रोफार्मा शुद्धियों का प्रभाव शामिल है।

(भ) इसमें ब्याज वाली आरक्षित निधि के अन्तर्गत राशि शामिल है।

(म) इसमें बिना ब्याज वाली आरक्षित निधि के अन्तर्गत राशि शामिल है।

(ग) यह बाद के संशोधनों के कारण भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, संघ सरकार (सिविल) के 1975-76 के प्रतिवेदन में दिखाए गए आंकड़ों से भिन्न है।

(गा) 1976-77 के दौरान ऋण संबंधी लेनदेनों के ब्यौरे दिए गए हैं :—

	प्राप्तियां	अदायगियां	निवल वृद्धि (+) कमी (—) (करोड़ रु० में)
(क) आंतरिक ऋण			
(i) बाजार कर्जे . . .	*1222.60	278.10	+944.50
(ii) खजाना बिल . . .	5826.28	5815.58	+10.70
(iii) तदर्थ खजाना बिल . .	4253.05	4705.55	—452.50
(iv) अन्य आंतरिक ऋण . .	59.40	3.60	+55.80
(ख) बाह्य ऋण . . .	1376.71	370.03	+1006.68
(ग) अल्प बचत भविष्य निधि, आदि— . .			
(i) अल्प बचत संग्रहण . .	1705.31	1291.98	+413.33
(ii) भविष्य निधियां . .	418.31	222.89	+195.42
(iii) अन्य लेखे . . .	930.78	56.70	+874.08
जोड़ . . .	15792.44	12744.43	+3048.01

10(का) **बाजार कर्जे** :—बाजार कर्जों से 1976-77 के दौरान हुई प्राप्तियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

	नकद	वर्ष के दौरान परिपक्व होने वाले कर्जों के रूपांतरण द्वारा	भारत के रिजर्व बैंक द्वारा धारित तदर्थ खजाना बिलों के रुपांतरण द्वारा	जोड़ (करोड़ रु० में)
4 प्रतिशत कर्ज, 1980 .	(क)	..	..	(क)
3 प्रतिशत रूपान्तरण कर्ज, 1946	0.01	..	..	0.01
5½ प्रतिशत कर्ज, 1984 .	8.02	33.16	..	41.18
6 प्रतिशत कर्ज, 1993 (द्वितीय निर्गम) . .	68.43	..	..	68.43

*इसमें 1974-75 के दौरान किए गए गलत समायोजन के प्रतिलेखन से संबंधित 0.01 करोड़ रु० शामिल हैं।

(क) वास्तविक राशि 12150 रु० है

6 प्रतिशत कर्ज, 1993 (तीसरा निर्गम) . .	45.05	..	..	45.05
6 प्रतिशत कर्ज, 1994 .	39.74	48.51	..	88.25
$6\frac{1}{4}$ प्रतिशत कर्ज, 1997 .	75.00	..	..	75.00
$6\frac{1}{2}$ प्रतिशत कर्ज, 2000 .	231.19	163.82	..	395.01
$6\frac{1}{2}$ प्रतिशत कर्ज, 2002 .	309.75	..	..	309.75
$6\frac{1}{2}$ प्रतिशत कर्ज, 2003 .	99.93	..	..	99.93
$6\frac{1}{4}$ प्रतिशत कर्ज, 1996 .	..	..	75.00	75.00
$5\frac{3}{4}$ प्रतिशत कर्ज, 2002 .	..	..	25.00	25.00
जोड़ , .	877.12	245.49	100.00(ख)	1222.61

(खा) खजाना बिल, प्रतिभूतियां और बांड—इनमें शामिल हैं:—

(क) तदर्थ खजाना बिल भारतीय रिज़र्व बैंक को जारी कर दिए जाते हैं। 31 मार्च 1977 को 3591.41 करोड़ रु० बकाया थे।

(ख) खजाना बिल राज्य सरकारों, बैंकों और अन्य पार्टियों को जारी किए जाते हैं। 31 मार्च 1977 को 1776.70 करोड़ रु० बकाया थे। ये भारतीय रिजर्व बैंक (442.46 करोड़ रु०), राज्य सरकारों (231.49 करोड़ रु०) और अन्य पार्टियों (1102.75 करोड़ रु०) के पास थे।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को जारी अपरक्राम्य, बिना ब्याज वाली प्रतिभूतियां (1016.70 करोड़ रु०) और क्षतिपूर्ति और अन्य बांड (21.04 करोड़ रु०)।

11.(का) ऋण आदि पर ब्याज के भुगतान का विश्लेषण नीचे दिया जाता है:—

	1974-75	1975-76	1976-77
			(करोड़ रु० में)
(i) ऋण और अन्य दायित्वों पर सरकार द्वारा अदा किया गया ब्याज .	1000.76	1228.16	1374.44

(ख) इसमें पृष्ठ 14 की पाद टिप्पणी में उल्लिखित 0.01 करोड़ रु० शामिल नहीं है।

टिप्पणी:—पिछले प्रतिवेदनों में कुछ तदर्थ खजाना बिल कुछ राज्य सरकारों को भेज दिए गए दिखाए गए थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है (जुलाई 1978) कि तदर्थ खजाना बिल केवल भारतीय रिजर्व बैंक के नाम जारी किए जाते हैं न कि राज्य सरकारों को। 1976-77 के लेखाओं में आवश्यक प्रोफार्मा संशोधन कर दिया गया है।

(ii) घटाएं :—			
(क) राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को दिए गए कर्जों से प्राप्त ब्याज . . .	373.61	456.39	390.14
(ख) शेष रोकड़ और अन्य मदों [निम्न-लिखित मद (iv) में दिखाई गई प्राप्तियों को छोड़कर] के निवेश द्वारा अन्य कर्जों पर प्राप्त ब्याज .	44.44	88.00	109.14
(iii) ब्याज प्रभारों की निवल राशि .	582.71	683.77	875.16
(iv) रेलवे और डाक-तार सहित विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों, लोक क्षेत्र उप-क्रमों, और अन्य उपक्रमों से ब्याज .	357.47	389.35	606.17
(v) उपरोक्त मद (iv) में दिखाई गई प्राप्तियों को घटाने के पश्चात् ब्याज प्रभारों की निवल राशि . .	225.24	294.42	268.99

(खा) भारत सरकार द्वारा अदा किए गए ब्याज के और ब्यौरे नीचे दिए जाते हैं:—

	1974-75	1975-76	1976-77
			(करोड़ रु० में)
बाजार कर्जों पर ब्याज . . .	292.11	338.51	376.97
खजाना बिलों पर बट्टा . . .	236.31	251.59	260.17
ऋण की व्यवस्था के लिए रिजर्व बैंक को अदायगी .	0.93	1.88	1.62
बाह्य ऋण पर ब्याज . . .	160.81	190.39	207.63
भविष्य निधियों पर ब्याज . . .	71.82	98.71	112.96
बचत पत्रों पर ब्याज . . .	75.82	83.74	85.03
अन्य मदें	162.96	263.34	330.06
जोड़ . . .	1000.76	1228.16	1374.44

IV विदेशी स्रोतों से अनुदान और कर्जे

12.(क) विदेशों, पुनर्निर्माण और विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ इत्यादि से अनुदान (3180.97 करोड़ रु०) और कर्जों (11950.98 करोड़ रु०)* के रूप में 15131.95 करोड़ रु० 31 मार्च, 1977 तक प्राप्त किए गए थे। इसके अतिरिक्त, तकनीकी सेवाओं इत्यादि के रूप में अंशदान जोकि सरकारी लेखाओं में दर्शाए नहीं जाते हैं, संयुक्त राष्ट्र तकनीकी सहायता संघ (यू०एन०टी०ए०ए०) संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान और संस्कृति संगठन (यूनेस्को) इत्यादि और कतिपय अन्तर्राष्ट्रीय लोकोपकारी संगठनों से प्राप्त हुए हैं। 1973-74 तक सामग्री उपस्कर इत्यादि के रूप में हुए कतिपय दान भी सरकारी लेखाओं में नहीं दर्शाए गए थे। 1974-75 से विदेशी स्रोतों से सहायता के रूप में प्राप्त समस्त सामग्री, उपस्कर इत्यादि के मूल्य सरकारी लेखाओं में लेखाबद्ध किए जाते हैं।

---

* 5 जून, 1966 तक के आंकड़े अवमूल्यन पूर्व दरों पर और 5 जून, 1966 से बाद के आंकड़े अवमूल्यन के बाद की दरों के अनुसार हैं।

(ख) अनुदान—अनुदान के रूप में प्राप्त राशियां नीचे दर्शाई जाती हैं:—

कार्यक्रम	स्रोत	प्राप्त अनुदान		सबसे पहली अवधि जब से अनुदान प्राप्त हुए हैं	अभ्युक्तियां
		1976-77 के दौरान	1976-77 के अन्त तक		
1	2	3	4	5	6
			(करोड़ रुपयों में)		
भारत-अमरीका तकनीकी सहयोग सहायता कार्यक्रम	संयुक्त राज्य अमरीका	कुछ नहीं	136.25	1952-53	तकनीकी सेवाओं के रूप में प्राप्त सहायता सरकारी लेखाओं में नहीं दिखाई जाती है।
पी०एल० 480 के अधीन अनुदान और अन्य निधियां, 1974 . .	संयुक्त राज्य अमरीका	कुछ नहीं	2071.37	1960-61	
कोलम्बो योजना . .	आस्ट्रेलिया	कुछ नहीं	17.56	1951-52	
	कनाडा	कुछ नहीं	344.90	1952-53	
	न्यूजीलैंड	कुछ नहीं	3.51	1951-52	
	यू०के०	कुछ नहीं	2.12	1954-55	
ऋण-राहत . . .	डेनमार्क	0.43	1.00	1975-76	
	नीदरलैंड	कुछ नहीं	7.53	1975-76	
	स्वीडन	कुछ नहीं	1.02	1975-76	
	यू०के०	कुछ नहीं	20.43	1975-76	

आयात के लिए सहायता . .	पूर्वी योरोपीय देश	कुछ नहीं	45.79	1975-76	
	नीदरलैंड	कुछ नहीं	11.59	1975-76	
	स्वीडन	15.60	24.07	1975-76	
	यू०के०	कुछ नहीं	27.13	1975-76	
कोयला खनन क्षमता के विकास के लिए सहायता	यू०के०	कुछ नहीं	4.56	1975-76	
मिश्रित परियोजनाओं के लिए सहायता .	यू०के०	7.52	14.01	1975-76	
मत्स्य उद्योग का विकास . .	नार्वे	0.81	3.92	1953-54	मछली पकड़ने के उपस्कर के रूप में
संयुक्त राष्ट्र के आपात कालीन परिचालन कार्यक्रम के अधीन खाद्यान्नों की खरीद के लिए सहायता . . .	संयुक्त राष्ट्र संघ	कुछ नहीं	38.45	1975-76	
जनसंख्या संबंधी कार्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र निधि के अधीन सहायता . .	संयुक्त राष्ट्र संघ	1.71	2.02	1975-76	
डी०टी० वैकसीन की लागत के लिए सहायता	संयुक्त राष्ट्र संघ	कुछ नहीं	0.13	1975-76	
विशेष सामाजिक सेवा कार्यक्रम के लिए सहायता . . .	नीदरलैंड	कुछ नहीं	2.24	1975-76	
इंडो-स्वीडिश विकास क्रेडिट के अधीन सहायता . . .	स्वीडन	20.45	31.93	1975-76	
परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए सहायता	स्वीडन	3.31	7.28	1974-75	
	यूनीसेफ	0.20	0.20	1976-77	
	सं० रा० निधि	0.16	0.16	1976-77	
	डेनमार्क	0.20	0.20	1976-77	
	जर्मनी	0.10	0.10	1976-77	

1	2	3	4	5	6
उपहार स्वरूप प्राप्त कागज का मूल्य	स्वीडन	कुछ नहीं	1.36	1974-75	
	नार्वे	0.79	0.79	1976-77	
अन्तर्राष्ट्रीय अन्न व्यवस्था कार्यक्रम के अधीन खाद्य सहायता . .	आस्ट्रेलिया	7.50	23.13	1975-76	
	बेल्जियम	कुछ नहीं	3.87	1975-76	
	कनाडा	46.56	95.38	1975-76	
	योरोपीय आर्थिक समुदाय	कुछ नहीं	23.94	1975-76	
	नीदरलैंड	0.62	2.12	1975-76	
	स्वीडन	कुछ नहीं	6.25	1975-76	
	यू०के०	6.30	10.05	1975-76	
	फ्रांस	3.75	3.75	1976-77	
संगणकों के लिए अनुदान . .	नीदरलैंड	कुछ नहीं	1.22	1975-76	
बंबई-पूना दूरदर्शन केन्द्र को उपस्कर के लिए सहायता . .	जर्मन संघीय गणराज्य	कुछ नहीं	1.58	1975-76	
उपहार उर्वरकों का मूल्य . .	डेनमार्क	कुछ नहीं	0.72	1975-76	
	खाद्य और संगठन	कुछ नहीं	7.00	1975-76	
	नार्वे	3.60	7.61	1975-76	
	स्वीडन	कुछ नहीं	6.38	1975-76	
	संयुक्त राष्ट्र संघ	कुछ नहीं	2.11	1975-76	
	जर्मन संघीय गणराज्य	1.17	1.17	1976-77	

पोस्टमार्टम प्रोग्राम के लिए सहायता .	नार्वे	2.33	2.33	1976-77
बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजनाएं	यूनीसेफ			
स्वास्थ्य प्रशासन का सुदृढ़ीकरण .	विश्व स्वास्थ्य संगठन	0.06	0.06	1976-77
		0.09	0.09	1976-77
इलैक्ट्रानिक्स एण्ड प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन, हैदराबाद के उच्च प्रशिक्षण संस्थान के लिए सहायता . . .	स्वीडन/अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन	0.11	0.11	1976-77
फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर के लिए सहायता . . .	जर्मन संघीय गणराज्य	0.01	0.01	1976-77
दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली का उपस्कर	जर्मन संघीय गणराज्य	2.28	2.28	1976-77
क्षय-रोग नियंत्रण कार्यक्रम . .	यूनीसेफ	0.28	0.28	1976-77
कृषि उप-पद्धति का विकास और खाद्य नीति का पोषण पक्ष . .	फोर्ड फाउंडेशन	0.01	0.01	1976-77
साल्ट फोर्टीफिकेशन परियोजना	यूनीसेफ	0.01	0.01	1976-77
टूल रूम परियोजना . . .	डेनमार्क	0.22	0.22	1976-77

1	2	3	4	5	6
कलकत्ता मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथारिटी का विशेष सामाजिक सेवा कार्यक्रम .	नीदरलैंड	2.40	2.40	1976-77	
अनुरक्षण अनुदान . .	यूनाइटेड किंगडम	81.31	81.31	1976-77	
सैक्टर अनुसार अनुदान . .	यूनाइटेड किंगडम	2.41	2.41	1976-77	
1975 तेल सुविधा के लिए आर्थिक सहायता	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	7.38	7.38	1976-77	
कतिपय परियोजनाओं के विकास के लिए सहायता . . .	यूनाइटेड किंगडम	12.53	12.53	1976-77	
विद्युत और कोयला सेक्टरों के लिए माल और सेवाओं की विदेशी मुद्रा लागत का वित्त पोषण करने के लिए सहायता .	यूनाइटेड किंगडम	3.25	3.25	1976-77	
ऋण पुनर्वित्तपोषण अनुदान . .	यूनाइटेड किंगडम	18.51	18.51	1976-77	
	स्वीडन	1.46	1.46	1976-77	
	नीदरलैंड	13.93	13.93	1976-77	
	डेनमार्क	0.85	0.85	1976-77	
जनसंख्या अनुदान . . .	स्वीडन	0.96	0.96	1976-77	
अन्य कार्यक्रम/प्रयोजन . .	फोर्ड फाउन्डेशन	कुछ नहीं	*12.68	1951-52	
	जोड़ .	271.17	3180.97		

*इन कार्यक्रमों के संबंध में जिसके लिए सहायता प्राप्त हुई थी, सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं हैं ।

13. 1976-77 के अन्त तक बकाया विदेशी कर्जों की राशि 8,610.42 करोड़ रु० थी। इन कर्जों के ब्यौरे नीचे दिए जाते हैं :—

स्रोत	प्राधिकृत राशि	प्राप्त		वापस अदा किए गए		1976-77** के अंत तक बकाया राशि	ब्याज की दर
		1976-77 के दौरान	1976-77* के अंत तक	1976-77 के दौरान	1976-77* के अंत तक		
1	2	3	4	5	6	7	8
			(करोड़ रुपयों में)				
संयुक्त राज्य अमरीका	4197.05	142.88	4116.09	57.56	2344.94	2392.79	$\frac{3}{4}$ से 6 प्रतिशत
सोवियत संघ	941.99	32.13	878.18	81.99	672.97	362.80	$2\frac{1}{2}$ प्रतिशत
जर्मन संघीय गणराज्य	914.64	190.13	1014.53	66.99	525.61	620.20	1 से $6\frac{3}{4}$ प्रतिशत तक
कनाडा	384.24	23.68	320.36	8.57	50.07	281.29	$4\frac{1}{2}$ से 6 प्रतिशत तक
जापान	619.87	133.40	697.08	51.02	223.80	527.56	4 से 6 प्रतिशत तक
यूनाइटेड किंगडम	1199.75	20.13	1220.70	31.63	303.13	1037.82	(का)
पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक	546.75	16.96	313.42	23.41	253.31	160.10	4 से $6\frac{1}{2}$ प्रतिशत तक
अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	2925.86	556.26	2267.67	7.78	21.01	2367.56	कोई ब्याज प्रभारित नहीं किया जाता। बकाया राशि पर $\frac{3}{4}$ प्रतिशत सेवा प्रभार देय हैं।
ईराक	131.44	26.98 (क)	110.56	..	..	(क) 110.56	@

1	2	3	4	5	6	7	8
ईरान . . .	..	..	(ख)31.60	..	..	(ख)31.60	@
नीदरलैंड . .	168.30	52.02	171.25	6.15	14.45	162.61	$2\frac{1}{2}$ से $5\frac{1}{2}$ प्रतिशत तक
चैकोस्लोवाकिया .	166.10	10.27	84.52	5.80	62.88	29.36	$2\frac{1}{2}$ प्रतिशत
फ्रांस . . .	389.19	57.57	296.66	16.36	54.17	242.49	3 से $3\frac{1}{2}$ प्रतिशत तक
अन्य . . . (डेनमार्क, आस्ट्रिया, बैल्जियम, नार्वे, पोलैंड, स्वीडन, स्विटजरलैंड, यूगोस्लाविया, इटली, हंगरी, बहरीन और भारतीय मुद्रा आदि के वापस लिए जाने के संबंध में युद्ध संधि वाले अन्य राज्यों सहित)	494.97	114.30	428.36	12.77	176.33	283.68	(ख)
जोड़	13080.15	1376.71	11950.98	370.03	4702.67	8610.42	

*5 जून, 1966 तक के आंकड़े अवमूल्यन-पूर्व दरों पर हैं और 5 जून 1966 के बाद के आंकड़े अवमूल्यनोपरांत दरों पर हैं।

**अंत शेष में अवमूल्यन का प्रभाव शामिल है।

(का) लेजार्ड ब्रास एन्ड कम्पनी से लिए गए उधार पर ब्याज की दर यूनाइटेड किंगडम की बैंक दर से 1 प्रतिशत अधिक थी (कम से कम 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष)।

(खा) प्रत्येक देश की ब्याज दर अलग-अलग है।

(क) 1975-76 की गलती के संशोधन में प्रोफार्मा रूप में अपनाए गए 83.58 करोड़ रु० शामिल हैं।

(ख) 1975-76 के गलत समायोजन के संशोधन में प्रोफार्मा अपनाई गई।

@सूचना प्रतीक्षित है।1

V–संघ सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियां

14. 1975-76 और 1976-77 के अन्त में राज्य सरकारों, विदेशी सरकारों आदि से बकाया कर्जों और पेशगियों के ब्यौरे नीचे दिए जाते हैं :—

जिसको कर्जा दिया गया	31 मार्च, 1976 को बकाया राशि	1976-77 के दौरान अदा किए गए कर्जे	1976-77 के दौरान लौटाए गए कर्जे	31 मार्च 1977 को बकाया राशि
				(करोड़ रुपयों में)
राज्य सरकारें . .	*9671.75	1446.67	651.96	10466.46
संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें .	106.04	33.97	3.62	136.39
विदेशी सरकारें . .	110.19	184.81	105.71	189.29
सरकारी निगम, गैर सरकारी संस्थाएं, स्थानीय निधियां, खेतिहर आदि . .	*5730.51	1775.02	490.83	**7014.71
सरकारी कर्मचारी . .	*71.58	76.93	35.10	**113.34
जोड़	15690.07	3517.40	1287.22	17920.19

15(क)—भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकारों को दिए गए कर्जों के संबंध में राज्य सरकारें भारत सरकार को विस्थापित व्यक्तियों से केवल वस्तुतः वसूल की गई राशियां ही अदा कर रही थी।

जनवरी 1964 में, सरकार ने निर्णय किया कि पश्चिमी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राज्यों को दिए गए कुल कर्जों की अधिकतम 10 प्रतिशत तक की संपूर्ण हानि संघ सरकार वहन करेगी।

*प्रोफार्मा संशोधन के कारण ये पिछले वर्ष की रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों से भिन्न हैं।

**प्रोफार्मा संशोधनों का प्रभाव शामिल है।

मई 1964 में, सरकार द्वारा यह निर्णय किया गया कि भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों को 31 मार्च 1964 तक दिए गए कर्जों पर हुई हानियां संघ सरकार द्वारा पूर्णतया वहन की जाएंगी। यह निर्णय 31 दिसम्बर 1963 के बाद प्रवास करने वाले विस्थापित व्यक्तियों को दिए गए कर्जों पर लागू नहीं किया जाना था। 31 मार्च 1974 को प्रत्येक राज्य सरकार से बकाया सभी कर्जे समेकित कर दिए गए हैं और वसूली की शर्तें 1 अप्रैल, 1974 से और संशोधित कर दी गई हैं। संघ सरकार ऐसे कर्जों में से (25.69 करोड़ रु०) अब तक (31 मार्च 1976 तक) माफ कर चुकी है या बट्टे खाते डाल चुकी है।

(ख) जून 1976 में सरकार ने छठे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकारों को संस्वीकृत स्वायत्तता पूर्व और अन्य कर्जों के कारण 22.19 करोड़ रु० बट्टे खाते डालने की संस्वीकृति दे दी।

16. 1976-77 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त ओवर ड्राफ्टों के समाशोधन/परिहार के लिए राज्य सरकारों को अर्थोपाय पेशगियों के रूप में 150.00 करोड़ रु० अदा किए गए थे। सम्पूर्ण राशि उसी वर्ष में वसूल कर ली गई थी।

17. सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों/निगमों को दिए गए निम्नलिखित कर्जों की शर्तें अभी तय नहीं की गई हैं (जून 1978):—

कर्जे की संस्वीकृति देने वाला मंत्रालय	संस्था का नाम जिसे कर्जा दिया गया	कर्जों की संख्या	कर्जों की कुल राशि	कर्जों से संबंधित पहली अवधि
			(करोड़ रुपयों में)	
इस्पात और खान (इस्पात विभाग)	स्टील आथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली	28	253.74	1975-76
	इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड	4	29.14	1976-77
	खुद्रेमुख आयरन और प्रोजेक्ट, बंगलौर	1	1.50	1976-77
उद्योग (औद्योगिक विकास विभाग)	हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लि०, नई दिल्ली	1	0.20	1976-77

18. (क) राज्य सरकारों को दिए गए कर्जों और पेशगियों, जिनमें मूलधन और ब्याज की वसूली 1976-77 के अन्त में बकाया थी, के ब्यौरे नीचे दिए जाते हैं :—

कर्जे की संस्वीकृति देने वाला मंत्रालय	राज्य सरकार का नाम	31 मार्च 1977 को बकाया राशि		कर्जों से संबंधित सबसे पहली अवधि
		मूलधन	ब्याज	
		(लाख रु० में)		
ऊर्जा मंत्रालय	जम्मू और कश्मीर	4.78	6.57	1976-77
(विद्युत विभाग)				
कृषि और सिंचाई	हरियाणा	0.03	0.02	1976-77
(कृषि विभाग)	पश्चिम बंगाल	0.35	0.26	1976-77
नागरिक आपूर्ति और सहकारिता (सहकारिता विभाग)	जम्मू और कश्मीर	..	0.33	1976-77
कृषि और सिंचाई				
(सिंचाई विभाग)	केरल	2.00	2.57	1976-77
	बिहार	31.33	23.99	1976-77
	उड़ीसा	7.00	8.98	1976-77
	असम	24.67	25.61	1976-77
जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय	जम्मू और कश्मीर	0.69	0.92	1976-77

(ख) सरकारी निगमों, गैर-सरकारी संस्थाओं, स्थानीय निधियों आदि को दिए गए कर्जों और पेशगियों, जिनमें 1976-77 के अन्त में मूलधन और ब्याज की वसूली बकाया थी, के ब्यौरे परिशिष्ट II में दिखाए गए हैं।

19. **विभिन्न देशों को सहायता** :—भारत सरकार कोलम्बो योजना और विशेष राष्ट्रमंडल अफ्रीकी सहायता योजना के अन्तर्गत विभिन्न देशों की सहायता कर रही है। कोलम्बो योजना के अन्तर्गत 1976-77 के दौरान 10.65 करोड़ रु० की और 1976-77 तक 132.18 करोड़ रु० की सहायता दी गई थी जिसमें से 125.16 करोड़ रु० नेपाल को दिए गए

थे (राष्ट्रीय राजमार्गों, पन बिजली परियोजनाओं, लघु सिंचाई निर्माण-कार्यों, ग्राम विकास कार्यक्रम, तकनीकी कार्मिकों के प्रशिक्षण और भारतीय विशेषज्ञों की सेवाओं के लिए)। विशेष राष्ट्रमंडल अफ्रीकी सहायता योजना के अन्तर्गत 1976-77 के दौरान 14 लाख रु० और 1976-77 के अंत तक 163 लाख रु० की सहायता दी गई।

इसके अतिरिक्त सरकार ने विदेशों को भी कर्जे दिए हैं और इसके कारण 1976-77 के अन्त में बकाया राशि 189.29 करोड़ रु० थी।

20. **संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां.**—1976-77 के दौरान सरकार ने 66 मामलों में (पुरानी गारंटियों के नवीकरण सहित) 1088.76 करोड़ रु० की गारंटियां दीं। 1976-77 के अन्त तक सरकार द्वारा कुल गारन्टीकृत बकाया राशि 2190.43 करोड़ रु० थी (इसमें कुछ ऐसे मामले भी शामिल हैं जिनमें राशि विदेशी मुद्रा में देय है)। गारंटियां 21 संयुक्त स्टाक कंपनियों, 71 सरकारी कंपनियों, 8 सांविधिक निगमों, 5 पत्तन न्यासों, 4 सहकारी बैंकों, 115 सहकारी समितियों, 2 राज्य बिजली बोर्डों, 2 राज्य वित्तीय निगमों, 65 उपभोक्ता सहकारी समितियों, उधार गारन्टी योजना के अन्तर्गत बहुत से लघु उद्योगों, एक स्वायत्त निकाय, औद्योगिक विकास बैंक और एक राज्य सरकार द्वारा लिए गए कर्जों के लिए दी गई थीं। इसके अतिरिक्त सरकार ने कुछ निगमों की शेयर पूंजी पर न्यूनतम लाभांश तथा उनके द्वारा जारी किए गए डिबेंचरों आदि पर ब्याज की अदायगी की भी गारन्टी दी है।

गारन्टी की शर्तों के अन्तर्गत सरकार द्वारा अदायगियां :

(i) **ब्रांच लाइन रेलवे कंपनियां** :

सरकार ने ब्रांच लाइन रेलवे कंपनियों की प्रदत्त शेयर पूंजी पर 3½ प्रतिशत/5 प्रतिशत प्रतिवर्ष के निवल प्रतिलाभ की गारन्टी दी है। 1976-77 के दौरान चार कंपनियों के मामले में गारन्टी के अधीन कार्यवाही की गई थी और सरकार द्वारा 23.94 लाख रु० अदा किए गए थे।

(ii) **लघु उद्योगों के लिए उधार गारंटी योजना :**

1976-77 के दौरान 1123 मामलों में गारन्टियों के अधीन कार्यवाही की गई थी और कर्जों/पेशगियों की वापस अदायगी में चूक होने के कारण सरकार के भाग के रूप में 74.85 लाख रु० अदा किए थे।

21. **अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को अंशदान**.—1976-77 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय निकायों को दिए गए अंशदान की कुल राशि 1615.31 लाख रु० थी। 1976-77 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान अत्यधिक महत्वपूर्ण अंशदान नीचे दिए जाते हैं:—

जिन्हें दिए गए	1974-75	1975-76	1976-77
			(लाख रुपयों में)
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय			
संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन	78.48	93.13	(क)90.46
संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि .	85.00	100.00	118.00
विदेश मंत्रालय—			
संयुक्त राष्ट्र संगठन . . .	20.40	*284.36	(ख)565.72
वित्त मंत्रालय—			
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम . .	307.54	359.52	369.84
कृषि और सिंचाई मंत्रालय—			
राष्ट्र मंडल कृषि ब्यूरो . . .	9.62	9.62	(ग)13.13
खाद्य और कृषि संगठन . . .	65.30	**	113.59

(क) 1976-77 के दौरान अदा किए गए किंतु 1977-78 के लेखाओं में समायोजित 3.31 लाख रु० शामिल नहीं है।

(ख) 1972-73 और 1975-76 के दौरान अदा किए गए क्रमशः 228.27 लाख रु० और 14.11 लाख रु० शामिल हैं।

(ग) 1976-77 के दौरान अदा किए गए किंतु इस वर्ष के लेखाओं में समायोजित न किए गए 1.87 लाख रु० शामिल नहीं है।

*1974-75 के दौरान अदा किए गए 272.57 लाख रु० शामिल हैं और 1975-76 में अदा किए गए किंतु वर्ष के दौरान असमायोजित 14.11 लाख रु० शामिल नहीं हैं।

**1975-76 के दौरान 74.20 लाख रु० अदा किए गए थे; यह राशि 1977-78 के लेखाओं में समायोजित की गई है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय—			
विश्व स्वास्थ्य संगठन . . .	108.95	110.98	(घ)190.13
श्रम मंत्रालय—			
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन . .	55.35	97.49	86.90
संचार मंत्रालय— . . .			
अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ . .	23.78	30.39	(ङ)32.03
परमाणु ऊर्जा विभाग—			
अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी .	5.19	25.51***	(च)78.05

(घ) 1972-73 में अदा किए गए 37.91 लाख रु० शामिल हैं ।

(ङ) 1976-77 के दौरान अदा किए गए किंतु 1977-78 के लेखाओं में समायोजित 2.55 लाख रु० शामिल नहीं हैं।

(च) 1975-76 के दौरान अदा किए गए 34.91 लाख रु० शामिल हैं।

***1975-76 के दौरान अदा किए गए किंतु 1976-77 के लेखाओं में समायोजित 34.91 लाख रु० शामिल नहीं हैं।

अध्याय II

विनियोग लेखापरीक्षा और व्यय पर नियंत्रण

विनियोग लेखापरीक्षा के परिणाम

22. नीचे दी गई सारणी में 1976-77 के दौरान मूल और पूरक अनुदानों और विनियोगों की राशि, राजस्व तथा पूंजीगत अनुभागों में वास्तविक व्यय और बचत दर्शाई गई है :-

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत—	
			राशि (करोड़ रुपयों में)	प्रतिशतता
दत्तमत अनुदान—				
राजस्व				
मूल	3642.13			
	4504.94	4321.69	—183.25	4.1
पूरक	862.81			
पूंजीगत				
मूल	4009.59			
पूरक	475.66	4505.25*	4059.10* —446.15	9.9
भारत की आकस्मिकता निधि को विनियोग	20.00			
प्रभारित विनियोग —				
राजस्व				
मूल	2891.83			
	2983.09	2967.32	—16.58	0.6
पूरक	92.07			
पूंजीगत				
मूल	11078.00			
	12668.67	12639.54	—29.13	0.2
पूरक	1590.67			
कुल जोड़	24662.76*	23987.65*	—675.11	2.7

*इसमें भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम 1976 की धारा 2 के अन्तर्गत समेकित निधि से भारत की आकस्मिकता निधि को अंतरित 20 करोड़ रु० सम्मिलित हैं।

675.11 करोड़ रु० की कुल बचत दत्तमत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों की कुल राशि के लगभग 3 प्रतिशत की सूचक है, यह राजस्व अनुभाग के 126 अनुदानों/विनियोगों में 219.17 करोड़ रु० और पूंजीगत अनुभाग के 76 अनुदानों/विनियोगों में 476.59 करोड़ रु० की बचत और राजस्व अनुभाग के 10 अनुदानों/विनियोगों में 19.34 करोड़ रु० तथा पूंजीगत अनुभाग के 6 अनुदानों/विनियोगों में 1.31 करोड़ रु० के अधिक व्यय का निवल परिणाम था। 1976-77 में हुई बचत का विश्लेषण पैरा 25 में किया गया है।

23. **पूरक अनुदान/विनियोग.**—वर्ष के दौरान 862.81 करोड़ रु० और 475.66 करोड़ रु० के पूरक प्रावधान 60 और 29 अनुदानों के अन्तर्गत क्रमशः राजस्व और पूंजीगत अनुभागों में प्राप्त किए गए थे। राजस्व और पूंजीगत अनुभागों में भी क्रमशः 18 और 17 विनियोगों के अंतर्गत प्रभारित व्यय के दिए 92.07 करोड़ रु० और 1590.67 करोड़ रु० के पूरक विनियोग भी प्राप्त किए गए थे।

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त किए गए पूरक अनुदानों/विनियोगों की राशि निम्नलिखित थी:—

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	दत्तमत	प्रभारित
1973-74	725.40 (56 मामलों में)	346.04 (18 मामलों में)
1974-75	1380.38 (85 मामलों में)	516.18 (25 मामलों में)
1975-76	1411.76 (97 मामलों में)	348.28 (34 मामलों में)

उनतीस मामलों* में 55.37 करोड़ रु० (राजस्व 5.03 करोड़ रु० और पूंजीगत 50.34 करोड़ रु०) का पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल अनुदान/विनियोग की राशि के बराबर भी नहीं हुआ। इन मामलों में 6.94 करोड़ रु० (राजस्व 5.03 करोड़ रु० और पूंजीगत 1.91 करोड़ रु०) का पूरक प्रावधान मार्च 1977 में प्राप्त किया गया।

*इन मामलों के विवरण परिशिष्ट III में दिए गए हैं।

24. अनुदानों/विनियोगों से अधिक व्यय

(क) अनुदानों से अधिक व्यय :

राजस्व अनुभाग में 6 अनुदानों के अन्तर्गत 18.71 करोड़ रु० तथा पूंजीगत अनुभाग में 2 अनुदानों के अन्तर्गत 1.11 करोड़ रुपये अधिक व्यय हुआ; इस अधिक व्यय का संविधान के अनुच्छेद 115 के अन्तर्गत नियमानुकूलन किया जाना है; अधिक व्यय के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

राजस्व अनुभाग

क्रम सं०	अनुदान	कुल अनुदान रु०	वास्तविक व्यय रु०	अधिक व्यय रु०
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय			
(1)	11-रसायन और उर्वरक मंत्रालय	32,01,000	32,49,327	48,327

अधिक व्यय 'क-सचिवालय—आर्थिक सेवाएं: क-1 सचिवालय क-1(1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय' (व्यय 32.49 लाख रु०; प्रावधान 32.01 लाख रु०) के अन्तर्गत हुआ और इसका मुख्य कारण टेलीफोनों और पुराने बकायों के निपटारे पर अधिक व्यय था।

	ऊर्जा मंत्रालय			
(2)	29-ऊर्जा मंत्रालय	60,68,000	60,82,926	14,926

अधिक व्यय मुख्यत: 'क-सचिवालय—आर्थिक सेवाएं:-क. 1—सचिवालय क-1(2) कोयला विभाग' (व्यय 20.89 लाख रु०, प्रावधान 20.66 लाख रु०) के अन्तर्गत हुआ और इसका मुख्य कारण लेखाओं के विभागीयकरण पर अधिक व्यय था।

	वित्त मंत्रालय			
(3)	39-वित्त मंत्रालय का अन्य व्यय	1,85,09,96,000	2,02,62,15,745	17,52,19,745

अधिक व्यय मुख्यतः 'क—आर्थिक मामलों का विभाग: क-4— विविध सामान्य सेवाएं : क.4(2)—विनिमय हानि' (व्यय 1856.93 लाख रु०, प्रावधान 'कुछ नहीं') के अन्तर्गत हुआ और मुख्यतः 1976-77 के पहले के वर्षों से सम्बद्ध समायोजनों के कारण था जो कि वित्त वर्ष के बिल्कुल अंत में करना पड़ा था ।

गृह मंत्रालय

(4) 57-अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	23,23,42,000	24,27,55,310	1,04,13,310

अधिक व्यय मुख्यतः 'क—सामान्य सेवाएं : क-12—लोक निर्माण कार्य: क-12(5) उचंत—क-12(5)(1) स्टाक' (व्यय 463.56 लाख रु०, प्रावधान 323.40 लाख रु०) के अन्तर्गत हुआ और अधिक व्यय पुरानी देयताओं के परिसमापन के कारण अधिक सामग्री प्राप्त होने के कारण हुआ ।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

(5) 66. प्रसारण	58,04,08,000	58,11,10,524	7,02,524

अधिक व्यय मुख्यतः 'क—प्रसारण : क-1—आकाशवाणी : क-1(4)—परिचालन और अनुरक्षण' (व्यय 527.47 लाख रु०, प्रावधान 456.32 लाख रु०) के अन्तर्गत हुआ और इसके मुख्य कारण अधिक भंडार का जारी किया जाना, पुरानी देयताओं का समायोजन और निर्माण कार्यों में त्वरित प्रगति थे ।

जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय

(6) 80-सड़कें	85,43,02,000	85,50,20,750	7,18,750

अधिक व्यय मुख्यतः 'क—सड़कें और पुल : क-2—राष्ट्रीय राज मार्ग : क-2(1)—अनुरक्षण : क-2(1)(1)—सड़क विंग द्वारा अनुरक्षण (व्यय 2342.00 लाख रु०, प्रावधान 2066.42 लाख रु०,) के अन्तर्गत हुआ और इसका मुख्य कारण बाढ़ आदि से हुई क्षति की विशेष मरम्मत पर अप्रत्याशित खर्च के कारण था ।

पूंजीगत अनुभाग

वित्त मंत्रालय

(1) 40-सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्जे	75,85,00,000	76,95,22,214	1,10,22,214

अधिक व्यय मुख्यतः 'कक––सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्जे: कक-1––गृह निर्माण पेशगियां' (व्यय 2366.80 लाख रु० : प्रावधान 1358.86 लाख रु०) के अन्तर्गत हुआ और इसका कारण अनुमानित गृह निर्माण पेशगियों की अपेक्षा अधिक पेशगियों की अदायगी थी।

गृह मंत्रालय

(2) 54-गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	39,38,34,000	39,39,27,000	93,000

अधिक व्यय 'गग––संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को कर्जे और पेशगियां: गग-1––योजनेतर योजनाएं: गग-1(1)––स्रोतों की कमी को पूरा करने के लिए कर्जे' (व्यय 1070.52 लाख रु०, प्रावधान 1065.52 लाख रु०) के अन्तर्गत हुआ।

(ख) प्रभारित विनियोगों से अधिक व्यय :

राजस्व अनुभाग में 4 विनियोगों में 0.63 करोड़ रु० और पूंजीगत अनुभाग में 4 विनियोगों में 0.20 करोड़ रु० अधिक व्यय हुए। संविधान के अनुच्छेद 115 के अन्तर्गत अनुदान सं० '36' मुद्रा, सिक्का ढलाई और टकसाल के पूंजीगत अनुभाग (प्रभारित) के अंतर्गत अधिक व्यय को छोड़कर इनका भी नियमानुकूलन आवश्यक है। इनके ब्यौरे इस प्रकार हैं:––

राजस्व विभाग

वित्त मंत्रालय

(1) 38-राज्य और संघ क्षेत्र सरकारों को अन्तरण	15,27,81,98,000	15,28,41,97,084	59,99,084

अधिक व्यय मुख्यतः 'ग––संघ उत्पाद शुल्क में राज्यों के भाग की अदायगी : ग-2––बिक्री कर के बदले में अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क में राज्यों का भाग' (व्यय 25448.74 लाख रु०, प्रावधान 25388.75 लाख रु०) के अन्तर्गत हुआ और इसका कारण मध्य प्रदेश सरकार को भूल से 17.72 करोड़ रु० की जगह 18.32 करोड़ रु० दिया जाना था जिसके परिणामस्वरूप 60 लाख रु० की अधिक अदायगी हुई।

गृह मंत्रालय

(2) 52-पुलिस	20,000	35,333	15,333

अधिक व्यय मुख्यत: 'क—पुलिस क–2—सीमा सुरक्षा दल : क—2 (1)—महानिदेशालय—सीमा सुरक्षा दल' (व्यय 0.25 लाख रु०, प्रावधान 'कुछ नहीं') के अन्तर्गत हुआ और मुख्यत: डिगरी पंचाटों की अप्रत्याशित अदायगी के कारण था।

विधि न्याय और कम्पनी मामलों का मंत्रालय

(3) 70—न्याय प्रशासन	65,33,000	65,33,692	692

अधिक व्यय 'क-न्याय प्रशासन: क 1—सर्वोच्च न्यायालय' (व्यय 65.34 लाख रु०, प्रावधान 65.33 लाख रु०) के अन्तर्गत हुआ।

जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय

(4) 80. सड़कें	1,30,000	3,90,520	2,60,520

अधिक व्यय 'क—सड़कें और पुल : क 4—जिला और अन्य सड़कें: क4(1)—केन्द्रीय सड़क निधि से प्राप्त आर्थिक सहायता से किया गया सड़क विकास: क4(1)(1)—दिल्ली में सड़कें (व्यय 2.90 लाख रु०, प्रावधान 0.19 लाख रु०) के अन्तर्गत हुआ और इसका कारण डिगरी पंचाटों की अदायगी था।

पूंजीगत अनुभाग

वित्त मंत्रालय

(1) 36—मुद्रा सिक्का ढलाई और टकसाल	5,60,000	5,60,248	248

अधिक व्यय "कक–मुद्रा, सिक्का ढलाई और टकसाल : कक 6–टकसाल : कक 6(1) भवन" के अंतर्गत 9248 रु० का व्यय दत्तमत के बजाय प्रभारित में समायोजन के कारण हुआ। अधिक व्यय का लोक लेखा समिति (पहली लोक सभा) 1955-56 के 16वें प्रतिवेदन के पैरा 7 के अनुसार नियमानुकूलन किया जाना अपेक्षित नहीं है।

गृह मंत्रालय

(2) 56. चण्डीगढ़	17,00,000	17,01,153	1,153

अधिक व्यय मुख्यत: 'खख—सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं के पूंजीगत लेखे: खख 4—आवास पर पूंजीगत परिव्यय: खख 4(2)—सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास' (व्यय 0.09 लाख रु०, प्रावधान 'कुछ नहीं') के अन्तर्गत हुआ।

इस्पात और खान मंत्रालय

(3) 83. इस्पात विभाग .	2,00,00,000	2,05,33,139	5,33,139

अधिक व्यय 'कक—खनन और धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्ययः कक 1-लोहा और इस्पातः कक 1(4)—भूमि का अधिग्रहण (दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के लिए भूमि का अधिग्रहण)' (व्यय 5.33 लाख रु०, प्रावधान 'कुछ नहीं') के अन्तर्गत हुआ और अनुदान के दत्तमत भाग में प्रावधान के कारण था।

निर्माण और आवास मंत्रालय

(4) 96-आवास और शहरी विकास	31,86,51,000	32,01,10,638	14,59,638

अधिक व्यय मुख्यतः 'कक—आवास पर पूंजीगत परिव्ययः कक 1—सरकारी रिहायशी भवनः कक 1(1)—निर्माणः कक 1(1)(1)—भवनः कक 1(1)(1)(1)—निर्माण और आवास' (व्यय 36.03 लाख रु०, प्रावधान 23.10 लाख रु०)' के अन्तर्गत हुआ और मुख्यतः न्यायिक पंचाट की अदायगियों के कारण था।

25. दत्तमत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों में बचत

675.11 करोड़ रु० की कुल बचत अधिक व्यय और बचत का निवल परिणाम था जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

	बचत		अधिक व्यय		निवल बचत	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
					(करोड़ रुपयों में)	
दत्तमत अनुदान	201.96 (93 अनुदानों में)	447.26 (51 अनुदानों में)	18.71 (6 अनुदानों में)	1.11 (2 अनुदानों में)	—183.25	—446.15
प्रभारित विनियोग	17.21 (33 विनियोगों में)	29.33 (25 विनियोगों में)	0.63 (4 विनियोगों में)	0.20 (4 विनियोगों में)	—16.58	—29.13

परिशिष्ट IV से ज्ञात होगा कि 21 अनुदानों में (राजस्व अनुभाग में 7 अनुदान और पूंजीगत अनुभाग में 14 अनुदान) बचत (प्रत्येक मामले में 5 लाख रु० से अधिक) निधियों से 20 प्रतिशत अधिक हुई, इन मामलों में से 13 अनुदानों में (राजस्व 4 और पूंजीगत 9) बचत 30 प्रतिशत से अधिक हुई।

दत्तमत अनुदानों के अंतर्गत 649.22 करोड़ रु० (राजस्व अनुभाग में 201.96 करोड़ रु० और पूंजीगत अनुभाग में 447.26 करोड़ रु०) की अन्तिम बचत में से 6 अनुदानों में बचत जिसके विवरण नीचे दिए हैं, 399.37 करोड़ रु० हुई थी (राजस्व अनुभाग में 30.83 करोड़ रु० और पूंजीगत अनुभाग में 368.54 करोड़ रु०)।

राजस्व अनुभाग

क्रम संख्या	अनुदान	बचत
(1)	37-पेंशन	30.83 करोड़ रु०

बचत मुख्यतः 'क-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ : क 1-अधिवार्षिकी और सेवानिवृत्ति भत्ते : क 1(1)—सामान्य पेंशन' (33.31 करोड़ रु०) के अंतर्गत हुई और मुख्यतः रेल, डाक और तार और रक्षा पेंशनभोगियों को अतिरिक्त राहत के लिए एकमुश्त प्रावधान का उपयोग न करने के कारण थी।

पूंजीगत अनुभाग

(1) 2-कृषि 114.03 करोड़ रु०

बचत मुख्यतः (1) 'कक-कृषि पर पूंजीगत परिव्यय : कक 1-बीज : कक 1 (2) राज्य बीज निगम में निवेश' (0.60 करोड़ रु०) और (ii) 'कक 3—खाद और उर्वरक: कक 3(1)—उर्वरकों की खरीद (112.82 करोड़ रु०) के अन्तर्गत हुई।

बचत के मुख्य कारण (i) अनुमोदन के अभाव में राशि का निर्मुक्त न किया जाना और (ii) उर्वरकों का कम आयात थे।

(2) 14-विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन 142.31 करोड़ रु०

बचत मुख्यत : 'जज-विदेशी सरकारों को पेशगियां : जज 7—सोवियत रूस की सरकार को कर्ज: जज 7(1)—व्यापारिक

करारों में समाविष्ट तकनीकी क्रेडिट' (249.66 करोड़ रु०) के अंतर्गत हुई और इसका मुख्य कारण सोवियत रूस के साथ व्यापारिक करारों के अंतर्गत तकनीकी क्रेडिटों की कम आवश्यकता थी।

(3) 39-वित्त मंत्रालय का अन्य व्यय . . . 29.93 करोड़ रु०

बचत मुख्यतः (1) 'क क-आर्थिक मामलों का विभाग: क क 4—रेलों को कर्जे : क क 4(1)—रेल विकास निधि को कर्जे' (16.74 करोड़ रु०) और (ii) 'कक 4(2)—रेल राजस्व आरक्षित निधि को कर्जे' (12.77 करोड़ रु०) के अंतर्गत हुई और मुख्यतः रेल अधिशेष का निधि को अन्तरण होने के कारण उनकी कर्जों की कम आवश्यकता के कारण थी।

(4) 72-पैट्रोलियम और पेट्रो-रसायन उद्योग . . 36.55 करोड़ रु०

बचत मुख्यतः (i) 'कक-पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्ययः क क 1-पैट्रोलियमः क क 1(7)—भारतीय तेल निगम लिमिटेड' (21.25 करोड़ रु०) और (ii) ख ख—पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक उद्योगों के लिए कर्जे : ख ख 1—पैट्रोलियमः ख ख 1(1) सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्जे: ख ख 1(1)(1)—भारतीय तेल निगम लिमिटेड' (21.25 करोड़ रु०) के अंतर्गत हुई और इसका कारण सरकारी निवेश का कम होना और भारतीय तेल निगम को और कम कर्जों की अदायगी थी।

(5) 83-इस्पात विभाग . . . . 45.72 करोड़ रु०

बचत मुख्यतः (1) 'क क-खनन और धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्ययः क क 1-लोहा और इस्पातः क क 1(2)—स्टील आथोरिटी आफ इंडिया (सेल) में निवेश (23.00 करोड़ रु०) और (ii) कक 1(6) कुद्रेमुख लौह अयस्क कम्पनी में निवेश' (50.89 करोड़ रु०) के अंतर्गत हुई।

बचत मुख्यतः (i) पूंजीगत व्यय पर कम निवेश और (ii) उपकरणों के लिए निविदाओं को अन्तिम रूप न दिये जाने और सिविल निर्माण कार्यों के अपूर्ण रहने के कारण हुई।

(ii) दत्तमत अनुदानों के अंतर्गत शेष 249.85 करोड़ रु० की बचत (राजस्व अनुभाग में 171.13 करोड़ रु० और पूंजीगत अनुभाग में 78.72 करोड़ रु०) अधिकांशतः निम्नलिखित अनुदानों के राजस्व और पूंजीगत अनुभागों में हुई थी :—

राजस्व विभाग

अनुदान		नियंत्रक मंत्रालय
2. कृषि . .	(7.39 करोड़ रु०)	कृषि और सिंचाई
6. खाद्य विभाग . .	(6.91 करोड़ रु०)	—वही—
7. ग्रामीण विकास विभाग .	(11.82 करोड़ रु०)	—वही—
14. विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन . .	(9.98 करोड़ रु०)	वाणिज्य
30. विद्युत विकास .	(9.38 करोड़ रु०) .	ऊर्जा
31. कोयला और लिग्नाइट .	(10.91 करोड़ रु०)	ऊर्जा
35. लेखापरीक्षा . .	(10.10 करोड़ रु०)	वित्त
38. राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अन्तरण .	(12.58 करोड़ रु०)	वित्त
72. पैट्रोलियम और पैट्रोरसायन उद्योग	(7.27 करोड़ रु०)	पेट्रोलियम
91. विमानन . .	(6.33 करोड़ रु०)]	पर्यटन और नागरिक विमानन
100. अणु शक्ति योजनाएं .	(8.15 करोड़ रु०)	अणु ऊर्जा विभाग

पूंजीगत अनुभाग

अनुदान		नियंत्रक मंत्रालय
12. रसायन और उर्वरक उद्योग	(5.87 करोड़ रु०)	रसायन और उर्वरक
61. उद्योग . .	(9.55 करोड़ रु०)	उद्योग और नागरिक आपूर्ति
91. विमानन . .	(5.52 करोड़ रु०)	पर्यटन और नागरिक विमानन
99. अणु ऊर्जा अनुसंधान, विकास और औद्योगिक परियोजनाएं	(14.97 करोड़ रु०)	अणु उर्जा विभाग

26. समुचित संस्वीकृति के अंतर्गत किए गए व्यय के संबंध में प्रमाण-पत्र का प्रस्तुत न किया जाना—संघ सरकार के सिविल विभागों के लेखाओं का 1976-77 के दौरान विभिन्न चरणों में विभागीयकरण किए जाने पर (पहली अप्रैल, 1976, पहली जुलाई, 1976, पहली अक्तूबर, 1976 से) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा II के अनुसार वर्ष 1976-77 से संघ सरकार (सिविल) के विनियोग लेखे को तैयार करने (कुछ अपवादों को छोड़कर) का भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व समाप्त हो गया। 1976-77 से विनियोग लेखे को तैयार करने का उत्तरदायित्व सरकार द्वारा लेखा-महानियंत्रक को सौंप दिया गया था।

लेखा-महानियंत्रक और सचिव, वित्त मंत्रालय को संघ सरकार (सिविल) के 1976-77 के विनियोग लेखे में यह प्रमाण-पत्र दर्ज करना था कि "लेखाओं के विभागीयकरण करने के पश्चात् किया गया और विनियोग लेखे में शामिल सभी व्यय·····सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत किया गया है। किंतु लेखामहा-नियंत्रक ने जून/जुलाई 1978 में बताया कि लेखा संगठन 1976 में ही अस्तित्व में आया था और 1976-77 और 1977-78 के दौरान उसका निर्माण सुदृढ़ किया जा रहा था और इस लिए कुछ विभाग सक्षम प्राधिकारी की संस्वीकृति की बिना की गई अदायगियों के मामलों, यदि कोई हो, के ब्यौरे एकत्रित नहीं कर सके थे। उसके अनुसार इस अवस्था में 1976-77 और 1977-78 के वर्षों से संबंधित ऐसे मामलों के ब्यौरे एकत्रित करना और इन वर्षों के विनियोग लेखे में अपेक्षित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना कठिन था। तथापि उसने बताया कि अपेक्षित प्रमाण-पत्र वर्ष 1978-79 से विनियोग लेखे में शामिल किया जाएगा।

अध्याय III

सिविल विभाग

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

27. विभागीय पेशगियां

कृषि और सिंचाई मंत्रालय के कृषि विभाग के अधीन विस्तार निदेशालय जनता को, विशेषकर किसानों को, पशुपालन, मुर्गीपालन और कृषि विकास संबंधी नवीनतम तकनीकों में शिक्षा देने के विचार से ग्रामीण तथा नगर क्षेत्रों में राष्ट्रीय/क्षेत्रीय पशुधन और मुर्गीपालन समारोहों, प्रदर्शनियों, प्रशिक्षण वर्कशॉपों, सेमिनारों आदि का आयोजन करता है । इनमें से अधिकांश कार्यकलाप, निदेशालय के मुख्यालय से बाहर पूरे देश में फैले विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए जाते हैं और बाहरी केन्द्रों पर अधिकांश व्यय नकद राशि में किया जाता है । इन समारोहों, प्रदर्शनियों आदि को वित्तपोषित करने के लिए खजाना/बैंक से रुपया निकलवा लिया जाता है और निदेशालय के अधिकारियों को पेशगी दे दिया जाता है, जिन्हें इन पेशगियों के विस्तृत लेखे समारोह/प्रदर्शनी समाप्त होने के दो से छः महीनों के भीतर प्रस्तुत करने होते हैं।

1971-72 से 1976-77 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में बकाया कुल राशि की तुलना में प्रत्येक वर्ष में हुए इन पेशगियों के आहरणों की स्थिति नीचे दर्शाई गई है :—

वर्ष	आहरित पेशगियों की राशि	31 मार्च को बकाया राशि
	(लाख रु० में)	
1971-72	4.66	6.03
1972-73	15.56	7.57
1973-74	7.00	7.98
1974-75	7.01	7.38
1975-76	9.19	6.61
1976-77	10.31	7.98

सरकार ने बताया (दिसम्बर 1977) कि 31 मार्च 1977 को बकाया 7.98 लाख रु० की राशि में से 3.82 लाख रु० की पेशगी राशि के समायोजन लेखे उस तारीख तक प्रस्तुत नहीं किए जाने थे।

इन पेशगियों की नमूना लेखापरीक्षा में निम्नलिखित बातें देखने में आई थीं :—

(i) 28 जून 1977 को (अर्थात जून 1977 के लिए रोकड़-बही बन्द करने की तारीख) बकाया पेशगियों की कुल राशि 5.91 लाख रु० थी। इसके वर्षवार ब्यौरे निम्नलिखित थे :—

वर्ष	मामलों की संख्या	राशि रु०
1972-73	2	1,940
1973-74	1	2,462
1974-75	1	12,097
1975-76 . . .	5	36,595
1976-77	42	5,38,251
	51	5,91,345

(ii) 7.57 लाख रु० की राशि के 64 मामलों में लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में काफी विलम्ब किया गया था जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :—

नियत तारीख के पश्चात् समायोजन लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	आहरण वर्ष	मामलों की संख्या	राशि रु०
1 से 6 महीने तक . .	1973-74	4	15,462
	1974-75	10	32,182
	1975-76	9	1,40,899
	1976-77	9	45,252
7 से 12 महीने तक	1973-74	8	1,53,798
	1974-75	7	82,500
	1975-76	5	57,770

13 से 18 महीने तक .	1973-74	6	1,29,131
	1975-76	1	5,275
18 महीने से ऊपर . .	1973-74	1	9,753
	1974-75	4*	84,687
जोड़ . . .		64	7,56,709

सरकार ने बताया (दिसम्बर 1977) कि "विभिन्न पार्टियों, राज्य सरकारों या भारत सरकार के विभागों से नियमित रसीद/वाउचर प्राप्त करने में अधिक समय लगने के कारण लेखाओं को पूरा कराए जाने में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हैं"।

(iii) प्रदर्शनियों/समारोहों के लिए निधियों का आहरण किए जाने के संबंध में निदेशालय में यह प्रथा चालू है कि साधारणतया खजाना/बैंक से वास्तविक आवश्यकता पड़ने से पहले ही सम्पूर्ण संस्वीकृत राशि निकाल ली जाती है और सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर उन्हें किश्तों में दी जाती है। 1973-74 से 1976-77 के दौरान ऐसी पेशगियों (प्रत्येक की राशि 500 रु० या उससे अधिक) के आहरणों के 385 मामलों (34.50 लाख रु०) के पुनरीक्षण से यह पता चला कि 214 मामलों (4.54 लाख रु०) में आहरण किए जाने की तारीख और सम्बद्ध अधिकारियों को संवितरण किए जाने की तारीख के बीच 1 से लेकर 25 महीनों तक का समय लगा था।

(iv) निम्नलिखित मामलों में वर्ष के अन्तिम महीनों में निकाली गई राशि का वितरण वस्तुतः अगले वित्तीय वर्ष में किया गया था :—

वर्ष	मामलों की संख्या	राशि रु०	आहरण की तारीख		वितरण की तारीख	
			से	तक	से	तक
1973-74	8	99,200	27-3-74	30-3-74	3-4-74	25-5-76
1974-75	8	59,470	28-3-75	31-3-75	3-4-75	21-10-76
1975-76	5	1,20,200	9-3-76	31-3-76	2-4-76	15-7-77
1976-77	8	76,393	8-2-77	30-3-77	7-4-77	18-7-77
जोड़	29	3,55,263				

*एक मामले (66,779 रु०) में 21 महीनों का और दूसरे मामले (2,992 रु०) में 25 महीनों का विलम्ब हुआ था।

सरकार ने बताया (दिसम्बर 1977) कि "साधारणतया निदेशालय के महत्वपूर्ण कार्यकलापों जैसे समारोह, प्रदर्शनी, प्रतियोगिता, सैमीनार आदि के काफी बड़े भाग की योजना और आयोजन इस तथ्य के कारण वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिमाही में किया जाता है कि इस तिमाही के दौरान सम्पूर्ण देश में ही मौसम सर्वोत्तम रहता है। इस तिमाही के दौरान समारोहों आदि से संबंधित व्यय सामान्यतः अगले वित्तीय वर्ष के चन्द पहले महीनों के दौरान ही बंट जाता है"।

(v) पुनरीक्षण किए गए 385 मामलों में से 104 मामलों में (3.35 लाख रु०) निकाली गई राशि मांगों की अपेक्षा अधिक थी।

(vi) नमूना जांच से भी यह पता चला कि सितम्बर 1973 और मार्च 1977 के बीच निकाली गई 2.30 लाख रु० की राशि में से निदेशालय ने 0.62 लाख रु० की राशि 3 से 28½ महीने के विलम्ब के पश्चात बिना खर्च किए ही लौटा दी थी।

(vii) जो राशि तुरन्त वितरण के लिए अपेक्षित न हो उसे तुरन्त ही खजाने में जमा कर देना चाहिए। ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें निदेशालय द्वारा बिना खर्च की गई राशि बैंक में पर्याप्त विलम्ब के पश्चात वस्तुतः जमा कराई गई थी, नीचे दर्शाई गई है :—

वर्ष	मामलों की संख्या	विलम्ब की अवधि	कुल अन्तर्ग्रस्त राशि (रु०
1973-74	12	14 दिनों से लकर 14 महीनों तक	28,325
1974-75	11	9 दिनों से लेकर 9 महीनों तक	18,710
1975-76	13	8 दिनों से लेकर 7 महीनों तक	29,410
1976-77	18	8 दिनों से लेकर 3½ महीनों तक	33,508

1973-74 से 1976-77 के दौरान आहरित पेशागियों की 30 जून 1977 को निदेशालय के पास उपलब्ध कुल अप्रेषित राशि 59,029 रु० थी, जिसके वर्षवार ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

जिस वर्ष के दौरान पेशगी आहरित की गई थी	30-6-1977 को अप्रेषित राशि रु०
1973-74	1,956
1974-75	2,000
1975-76	1,671
1976-77	53,402
जोड़	59,029

सरकार ने बताया (दिसम्बर 1977) कि ऐसी राशियों की वापसी "अधिकारियों द्वारा लेखे का अन्तिम प्रस्तुतीकरण किए जाने, विस्तृत लेखाओं की जांच और स्वीकृति होने तथा उनसे इस बात की स्वीकृति मिलने पर निर्भर करेगी कि वितरण के लिए और अधिक राशि की आवश्यकता नहीं होगी।"

बट्टे खाते डाली गई/छोड़ी गई हानियां और अवसूली योग्य प्राप्य राशियां तथा अनुग्रहपूर्वक अदायगियां

28. 1976-77 के दौरान बट्टे खाते डाली गई/छोड़ी गई हानियों और अवसूली योग्य राजस्व, शुल्क, पेशगियों आदि और अनुग्रहपूर्वक अदायगियों को दर्शाने वाला विवरण इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट V में दिया गया है।

अध्याय IV

निर्माण-कार्य व्यय

निर्माण और आवास मंत्रालय

29 गया में भंडारण कोठियों का निर्माण

खाद्य और कृषि मंत्रालय ने गया (बिहार) में खाद्यान्नों के भंडारण के लिए प्रबलित सीमेंट कंकरीट की 20 कोठियों, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 4,000 दशमिक टन की होनी थी, के निर्माण सहित निर्माण कार्यों को प्रशासनिक अनुमोदन (88.04 लाख रु०) प्रदान किया (अगस्त 1964)। 20 कोठियों के निर्माण के लिए 46.94 लाख रु० के ब्यौरे-वार अनुमान को मुख्य अभियंता (खाद्य) द्वारा दिसम्बर 1964 में तकनीकी संस्वीकृति प्रदान की गई। खाद्य भंडारण मण्डल, पटना द्वारा 45.97 लाख रु० में निर्माण कार्य एक ठेकेदार 'क' को दिया गया (17 जून 1965) जिसके लिए जून 1965 में कार्य आरम्भ करना और मार्च 1967 तक उसे पूरा करना आवश्यक था। जब कार्य चालू था तो मंत्रालय ने किफायती उपाय के रूप में कार्य की मात्रा 20 से घटाकर 8 कोठियां कर दी (सितम्बर/अक्तूबर 1965) और ठेकेदार को नवम्बर 1965 में अधिशासी अभियंता द्वारा तदनुसार सूचना दे दी गई। ठेकेदार ने निर्मित की जाने वाली कोठियों की संख्या में कमी किए जाने के कारण दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि की मांग की (नवम्बर 1966)। विभाग करार में किए गए इस प्रावधान के कारण दरों में किसी भी वृद्धि के लिए सहमत नहीं हुआ कि यदि किसी कारणवश आरम्भ किए जाने के बाद पूरा निर्माण कार्य कराना आवश्यक नहीं हुआ तो ठेकेदार को इस संबंध में नोटिस दिया जाना था लेकिन वह इसके कारण किसी क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं था। ठेकेदार ने मई 1967 में कार्य बंद कर दिया और उस समय तक आंशिक रूप से कार्य किया जा चुका था (निष्पादित कार्य का कुल मूल्य : 8.97 लाख रु०)। अधिशासी अभियंता ने ठेकेदार पर एक नोटिस की तामील कराई (दिसम्बर 1967) और करार रद्द कर दिया (दिसम्बर 1967)।

शेष कार्य की अनुमानित लागत (बिजली की मदों सहित) 8.51 लाख रु० थी । 8.35 लाख रु० की अनुमानित लागत का निर्माण कार्य (बिजली की मदों को छोड़कर) निविदाएं आमंत्रित किए जाने के बाद (निविदागत लागत : 11.86 लाख रु०) एक अन्य ठेकेदार 'ख' को दिया गया (मई 1969) । यह कार्य मई 1969 में आरंभ किया जाना था और फरवरी 1970 तक पूरा किया जाना था । किन्तु कार्य में श्रम और सामान की अनुपलब्धता, डिजाइन में परिवर्तन, आदि के कारण अनुबद्ध कार्यक्रम के अनुसार प्रगति नहीं हुई और 29 बार समय में वृद्धि की गई, अंतिम बार समय जून 1974 तक बढ़ाया गया ।

जून 1974 में, केन्द्रीय खाद्य भंडारण मण्डल, पटना को समाप्त कर दिया गया और केन्द्रीय खाद्य भंडारण मण्डल, कानपुर के साथ मिला दिया गया ।

आठ कोठियों का निर्माण 22.28 लाख रु० की कुल लागत पर (जिसमें दोनों ठेकेदारों 'क' और 'ख' को की गई अदायगियां शामिल हैं) दिसम्बर 1975 में पूरा किया गया जिसमें 'क' की दरों की तुलना में 1.72 लाख रु० की अतिरिक्त लागत अन्तर्ग्रस्त थी । कार्य को पूरा किए जाने में कुल 2202 दिन का विलम्ब हुआ; मुख्य अभियंता द्वारा विलम्ब के लिए बताए गए कारण ये थे (अगस्त 1977) : ठेकेदार को अनुभव न होना, विभाग द्वारा समय पर ठेकेदार को सामान और डिजाइन का न दिया जाना (1800 दिन), विरचकों द्वारा वातन वाहिनियों के उपलब्ध कराए जाने में विलम्ब (185 दिन) और वर्षा, बाढ़ आदि (217 दिन) । यह देखने में आयेगा कि जब प्रारम्भिक ठेका दिया गया था, तब डिजाइन तैयार नहीं किए गए थे ।

कोठियां भारतीय खाद्य निगम को सुपुर्द कर दी गई (जून 1976) जो भारत सरकार की ओर से अधिप्राप्ति और भंडारण का कार्य करता है । कोठियों के पूरा किए जाने में हुए विलम्ब के कारण भारतीय खाद्य निगम को फरवरी 1970 से दिसम्बर 1975 के दौरान गया में खाद्यान्नों के भंडारण के लिए अस्थायी प्लेटफार्मों का निर्माण करना पड़ा (लागत : 0.62 लाख रु०) ।

कोठियों के निर्माण के बाद पहली मानसून के दौरान (जून 1976) गुम्बद में एक छेद से पानी अंदर पहुंच गया और दीवारों से रिसने लगा।

मुख्य अभियंता (खाद्य) ने कोठियों का निरीक्षण किया (जून 1976) और पाया कि गुम्बदों के छेदों के ऊपरी ढक्कन अच्छी प्रकार बंद नहीं किए गए थे। बाद की बरसात में दीवारों पर भारी रिसाव (दरारें) और नम धब्बे देखे गए (अगस्त 1976) और इनके कारण खाद्यान्नों के भंडारण के लिए कोठियां असुरक्षित हो गईं। विभाग ने बताया (सितम्बर 1976) कि पहले बनाए गए जलसह का दोषों पर काबू पाने के लिए और अधिक दृढ़ किया जाना आवश्यक था, तदनुसार कोठियों की बाहरी सतह के गनाइटीकरण के लिए 4.22 लाख रु० का अनुमान तैयार किया गया (सितम्बर 1976)। यह कार्य दिसम्बर 1976 में ठेकेदार 'ग' को दिया गया और 4.76 लाख रु० की लागत पर अप्रैल 1977 में पूरा किया गया। परिणामतः जून 1976 में कोठियों का अधिग्रहण किए जाने के बाद भी भारतीय खाद्य निगम, पटना 1976 की खरीफ और 1977 की रबी के दौरान प्राप्त खाद्यान्नों के भंडारण के लिए कोठियों का उपयोग न कर सका और प्राइवेट पार्टियों से किराए पर लिए गए गोदामों के किराए पर 1.65 लाख रु० व्यय करने पड़े। अप्रैल 1977 में गनाइटीकरण का कार्य पूरा किए जाने के बाद भी 1977 की मानसून के दौरान कोठियों के अंदर नमी देखी गई। भारतीय खाद्य निगम द्वारा 8,340 दशमिक टन खाद्यान्नों के भंडारण के लिए 1977-78 में केवल 4 कोठियों का ही उपयोग किया गया। इन्हें भी रिसाव के कारण अधिकतम क्षमता तक नहीं भरा जा सका।

निर्माण और आवास मंत्रालय ने, जिसे मामला सितम्बर 1977 में सूचित किया गया था, दोषों का कारण कोठियों का बड़ा आकार बताया (अक्तूबर 1977) जिसके कारण कंकरीट का निर्माण कार्य कई चरणों में किया जाना आवश्यक हो गया था जिसके परिणामस्वरूप कई निर्माण जोड़ पड़ गए और गया में तापमान में व्यापक उतार-चढ़ाव से इसमें दरारें पड़ गईं, विशेषरूप से निर्माण जोड़ों में।

संक्षिप्त में, वे मुख्य बातें निम्नलिखित हैं जो इस संबंध में प्रकट हुई :—

(i) निर्माण कार्य, जिसके मार्च 1967 तक पूरा होने की आरम्भ में प्रत्याशा की गई थी, वस्तुतः 1.72 लाख रु० की अतिरिक्त लागत पर दिसम्बर 1975 में पूरा किया गया।

(ii) यद्यपि ठेकेदार 'क' के साथ किया गया करार दिसम्बर 1967 में रद्द कर दिया गया था, तथापि शेष कार्य मई 1969 में एक अन्य ठेकेदार 'ख' को दिया गया ।

(iii) कार्य के पूरा होने में विलम्ब के कारण भारतीय खाद्य निगम को (क) गया में खाद्यान्नों के भंडारण के लिए अस्थायी प्लेटफार्मों के निर्माण पर 0.62 लाख रु० (फरवरी 1970 से दिसम्बर 1975 तक) और (ख) प्राइवेट पार्टियों से किराए पर लिए गए गोदामों के किराए पर (1976 और 1977) 1.65 लाख रु० का व्यय करना पड़ा ।

(iv) कार्य पूरा होने के बाद भी कोठियों में रिसन पाई गई (अगस्त 1976) और रिसन को रोकने के लिए 4.76 लाख रु० की अतिरिक्त लागत पर गनाइटीकरण कराना पड़ा ।

(v) 27.04 लाख रु० की कुल लागत पर गनाइटीकरण के बाद पूरी की गई 8 कोठियों में से भारतीय खाद्य निगम ने 1977-78 में केवल 4 कोठियों का ही उपयोग किया परन्तु उन्हें भी रिसन के कारण उनकी अधिकतम क्षमता तक नहीं भरा जा सका ।

जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय

(सीमा सड़क विकास बोर्ड)

30. सड़क परियोजना का निष्पादन

नौका द्वारा जोड़ी गई दो टुकड़ों वाली 64 कि० मी० लम्बी सड़क जिसे 1965 में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से ले लिया गया था, के सुधार और समतलन का कार्य 57.89 लाख रु० की कुल लागत पर जुलाई 1965 और जून 1966 के बीच जारी की गई 4 विभिन्न संस्वीकृतियों द्वारा सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया गया था । बाद में दिसम्बर 1965 में तैयार किए गए परियोजना प्रतिवेदन के आधार पर बोर्ड ने 43.89 लाख रु० की अनुमानित लागत पर सड़क संरेखण पर 4 मुख्य पुलों के निर्माण की संस्वीकृति दी (नवम्बर 1966) ।

दिसम्बर 1966 में, 4 पुलों के निर्माण के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई । जनवरी 1967 में 7 फर्मों से प्रस्ताव प्राप्त हुए । न्यूनतम निविदाकार के साथ दीर्घकालिक पत्राचार के बाद, अगस्त 1967 में फिर से निविदाएं आमंत्रित की गई और 23 नवम्बर 1967 तक स्वीकृति के लिए वैध 3 दरें प्राप्त हुई ।

इस बीच, 11 अगस्त 1967 को टास्क फोर्स कमान्डर ने परियोजना मुख्य अभियंता को सूचित किया कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्राधिकारियों ने दो वर्ष पहले ही पास के नगर क्षेत्र के किनारे कुछ बचाव मार्गों को काट दिया था और अन्य बातों के साथ उल्लेख किया था कि ये मार्ग (जिसमें से एक तो पूर्ण रूप से नाले के आकार का हो गया बताया गया था) प्रस्तावित पुल के निर्माण स्थलों में से एक के लिए खतरनाक हो रहे थे । टास्क फोर्स कमान्डर ने प्रस्तावित पुल के निर्माण स्थलों को पूर्ण रूप से बचाते हुए नदी मार्ग में परिवर्तन की आशंका की और इस क्षेत्र के दौरे के दौरान महानिदेशक, सड़क सीमा के स्टाफ अधिकारी के ध्यान में भी इसे लाया था (जनवरी 1967) ।

यद्यपि प्राप्त निविदाएं 23 नवम्बर 1967 तक स्वीकृति के लिए वैध थीं और निर्माण कार्य के लिए तकनीकी संस्वीकृति अभी जारी की जानी थी, तथापि परियोजना मुख्य अभियंता ने सभी चार पुलों के लिए न्यूनतम निविदाकार को (दिल्ली से) स्वीकृति पत्र जारी किया (26 अगस्त 1967) जैसा कि नीचे दिया गया है :—

	(लाख रुपयों में)
पुल 'क'	6.28
पुल 'ख'	9.04
पुल 'ग'	17.06
पुल 'घ'	6.32
	38.70

उसी तारीख को एक ठेका भी किया गया । सभी पुल प्रथम निर्माण स्थल के दिए जाने की तारीख से 24 माह के अन्दर पूरे किए जाने थे और उसके तीन माह पश्चात् शेष निर्माण स्थलों को दिया जाना था ।

ठेके के हस्ताक्षर होने के 3 दिनों के भीतर परियोजना मुख्य अभियंता ने ठेकेदार को (दिल्ली से) पुल 'ग' के निर्माण स्थान की अनिश्चितता के कारण पुल के डिजाइन और निर्माण पर कुछ भी व्यय न करने के लिए लिखा । 16 सितम्बर 1967 को उसने टास्क फोर्स कमान्डर को सूचित किया कि उसके 11 अगस्त 1967 के पत्र पर महानिदेशक, सीमा सड़क से उसके दिल्ली दौरे के दौरान विचार किया गया था और केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग से अनौपचारिक रूप से प्राप्त और ब्यौरों से पता चला कि नदी के टेढ़े मेढ़े बहने और इसकी नगर क्षेत्र की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति के कारण 'चयनित निर्माण स्थल को कदाचित छोड़ने पर बाध्य होना पड़े' ।

बाद में, 17 जनवरी 1968 को, परियोजना मुख्य अभियंता ने महानिदेशक, सीमा सड़क को सूचित किया कि विस्तृत परीक्षण करने पर पुल 'ग' के लिए प्रस्तावित स्थल को उचित नहीं समझा गया और निर्माण स्थल में परिवर्तन और सड़क में सम्भावित पुनर्संरेखण से पुल 'घ' के निर्माण स्थल के भी प्रभावित होने की संभावना थी । 7 मार्च 1968 को पुल 'ग' और 'घ' पर (23.38 लाख रु०—कुल ठेका मूल्य का 60 प्रतिशत) निर्माण कार्य को औपचारिक रूप से 'निलम्बित' कर दिया गया ।

इसी बीच, 26 नवम्बर 1967 को पुल 'क' और 'ख' के लिए ठेकेदार को एक कार्य आदेश दिया गया और 7 दिसम्बर 1967 को कार्य स्थल दे दिए गए । 23 जनवरी 1968 को परियोजना मुख्य अभियंता द्वारा इन दो पुलों के सम्बन्ध में तकनीकी संस्वीकृतियां दी गईं ।

पुल 'क' और 'ख' पर क्रमशः 22.4 प्रतिशत (जुलाई 1968 तक) और 3.5 प्रतिशत (मई 1968 तक) कार्य हो जाने के बाद, ठेकेदार ने और आगे काम नहीं किया । अक्तूबर 1968 में, ठेकेदार ने, अन्य बातों के साथ साथ पुल 'ग' और 'घ' के कार्य स्थलों को न दिए जाने के कारण 7.76 लाख रु० की क्षतिपूर्ति का दावा किया । अप्रैल 1970 में, इस मामले को ठेकेदार की प्रार्थना पर मध्यस्थ निर्णय के लिए भेजा गया ।

महानिदेशक, सीमा सड़क के आदेशों के अधीन बुलाई गई (दिसम्बर 1968) एक समिति ने मई 1970 में पुल 'ग' और 'घ' के लिए नए कार्यस्थलों की सिफारिश की । सितम्बर 1970 में, विधि मंत्रालय की

सलाह पर, पुल 'ग' और 'घ' के निर्माण से संबंधित ठेका (अंशतः) ठेके की सामान्य शर्तों के अनुसार समाप्त कर दिया गया ।

ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य का मूल्य 1.65 लाख रु० आंका गया। अगस्त 1971 में पुल 'क' और 'ख' का शेष कार्य 15 अक्तूबर 1973 तक समाप्त करने के लिए 19.49 लाख रु० की लागत पर एक अन्य ठेकेदार को (पहले ठेकेदार की जोखिम और लागत पर) दिया गया । तथापि, मार्च 1977 के अंत तक पुल 'क' और 'ख' पर क्रमशः 53 प्रतिशत और 51 प्रतिशत तक कार्य की प्रगति हुई । 31 दिसम्बर 1977 तक कार्य को समाप्त करने के लिए समय को बढ़ाया गया था ।

अक्तूबर 1971 में, मध्यस्थ ने ठेकेदार की जोखिम और लागत पर पुल 'क' और 'ख' पर अधूरे कार्य को करवाने के लिए दी गई अतिरिक्त लागत के कारण ठेकेदार के पक्ष में 3.76 लाख रु० (11.90 लाख रु० के उसके कुल दावे के प्रति) और विभाग के पक्ष में 5.60 लाख रु० (7.15 लाख रु० के इसके दावे के प्रति) का निर्णय दिया ।

ठेकेदार को 3.76 लाख रु० की राशि न देनी पड़ी होती यदि परियोजना मुख्य अभियंता ने स्वीकृति पत्र न जारी किया होता और टास्क फोर्स कमान्डर के दिनांक 11 अगस्त 1967 के पत्र को देखते हुए 26 अगस्त 1967 को उसके साथ ठेका न किया होता ।

दिसम्बर 1971 में ठेकेदार ने निर्णय को सिविल न्यायालय में चुनौती दी और सितम्बर 1975 में न्यायालय ने निर्णय की शर्तों के अनुसार केवल विभाग के पक्ष में 1.84 लाख रु० की डिक्री जारी की । ठेकेदार ने उच्च न्यायालय में अपील कर दी (जुलाई 1976) थी ।

इस बीच, मई 1972 में, परियोजना मुख्य अभियंता ने सड़क के एक भाग के लिए (11.75 कि०मी०—लागत 17.70 लाख रु०) एक नए संरेखण का प्रस्ताव किया जिसमें पुल 'ग' और 'घ' के स्थान पर फिर से निर्णय लिया जाना शामिल था। दिसम्बर 1976 में सेना मुख्यालयों द्वारा गठित अधिकारी बोर्ड, परियोजना मुख्य अभियंता द्वारा प्रस्तावित पुनर्संरेखण पर निर्माण के पक्ष में नहीं था और उसने यह मत दिया कि वर्तमान संरेखण के साथ विद्युत चालित नौकाओं की व्यवस्था वैकल्पिक पहुंच मार्ग के रूप में मार्ग को विश्वसनीय बनाने के लिए पर्याप्त थी । यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था (दिसम्बर 1977) ।

सीमा सड़क विकास बोर्ड ने बताया (फरवरी 1976/दिसम्बर 1977) कि नगर की सुरक्षा की दृष्टि से 1965 में कुछ मार्ग खोदे गए थे और यद्यपि ये मार्ग पुल 'ग' के कार्यस्थल के लिए कुछ खतरनाक हो सकते थे, तथापि 1967 के मानसून के दौरान इन चैनलों में अत्यधिक बाढ़ आई जिससे स्थिति बिगड़ गई और पुल 'ग' के कार्यस्थल में परिवर्तन की आवश्यकता हुई जिसके कारण पुल 'घ' के स्थान में भी परिवर्तन और फलस्वरूप सड़क के एक भाग का पुनर्संरेखण करना पड़ा । बोर्ड ने आगे बताया कि सड़क का उपयोग टिम्बर पुलों/नौकाओं द्वारा नदी पार करके किया जा रहा था ।

संक्षेप में निम्नलिखित मुख्य बातें सामने आई :—

(i) (क) दिनांक 11 अगस्त, 1967 के टास्क फोर्स कमान्डर का पत्र जिसमें प्रस्तावित पुल के कार्यस्थलों में से एक को खतरे के विषय में चेतावनी दी गई थी, (ख) 23 नवम्बर, 1967 तक निविदाओं की वैधता थी, और (ग) निर्माण कार्य के लिए तकनीकी संस्वीकृतियां अभी तक नहीं दी गई थीं । इन बातों के बावजूद भी परियोजना मुख्य अभियंता ने न्यूनतम निविदाकार को स्वीकृति पत्र जारी किया (26 अगस्त 1967) और सभी चार पुलों के लिए ठेका किया ।

(ii) यद्यपि दो पुलों अर्थात् 'ग' और 'घ' के संबंध में पहले ठेकेदार के साथ ठेका सितम्बर 1970 मेंसमाप्त कर दिया गया था, तथापि केवल अगस्त 1971 में पुल 'क' और 'ख' पर शेष कार्य को 15 अक्तूबर 1973 तक समाप्त करने के लिए पहले वाले ठेकेदार की जोखिम और लागत पर एक अन्य ठेकेदार को दिया गया; कार्य अभी पूरा नहीं हुआ (दिसम्बर 1977) ।

(iii) उपरोक्त (i) पर उल्लिखित मुख्यतः स्वीकृति पत्र और ठेके के कारण मध्यस्थ के निर्णय की शर्तों के अनुसार क्षतिपूर्ति के रूप में पहले वाले ठेकेदार को 3.76 लाख रु० का भुगतान देय हो गया ।

अध्याय V

सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता

31. (1) **कर्जे और पेशगियां.**—1976-77 के दौरान संघ सरकार द्वारा दिए गए कर्जों और पेशगियों के ब्यौरे पैरा 14 में दिए गए हैं ।

(2) **अनुदान.**—1976-77 के दौरान संघ सरकार द्वारा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों, सांविधिक निकायों, पंजीकृत और गैर-सरकारी संस्थाओं आदि को अनुदान के रूप में 2,157.94 करोड़ रु० का भुगतान किया गया, जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

(लाख रुपयों में)

(क) राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अनुदान :	
(i) संविधान के अनुच्छेद 275 (i) के उपबन्ध के अधीन राज्य सरकारों को अनुदान	57,42.43
(ii) राज्य सरकारों को अन्य अनुदान . . .	14,90,09.84
(iii) संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अनुदान . .	74,19.44
(ख) सांविधिक निकायों, गैर-सरकारी संस्थाओं या निकायों और व्यक्तियों को अनुदान (मंत्रालयवार अनदानों के ब्यौरे इस रिपोर्ट के परिशिष्ट VI में दिए गए हैं) . .	5,36,22.62

अध्याय VI

विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रम

32. सामान्य

31 मार्च 1977 को विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक और अर्ध-वाणिज्यिक प्रकार के सरकारी उपक्रमों की संख्या 37 थी, उतनी ही संख्या जितनी 31 मार्च 1976 को थी। 1976-77 के दौरान जबकि एक उपक्रम, अर्थात् बैंक नोट मुद्रणालय, देवास, वाणिज्यिक उपक्रम बन गया, एक अन्य उपक्रम अर्थात् पठिनी टी इस्टेट, 1 जुलाई 1976 से इसका स्वामित्व टी ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड को अन्तरित होने के परिणाम-स्वरूप विभागीय रूप से प्रबंधित उपक्रम नहीं रहा ।

इन उपक्रमों के वित्तीय परिणाम प्रति वर्ष सरकार के सामान्य लेखाओं के बाहर प्रोफार्मा लेखे तैयार करके सुनिश्चित किए जाते हैं । व्यापार तथा लाभ और हानि लेखे और तुलनपत्र दो उपक्रमों, अर्थात् प्रकाशन विभाग, दिल्ली और भारत सरकार के मुद्रणालयों, द्वारा तैयार नहीं किए जाते हैं; इसके स्थान पर केवल भण्डार लेखे ही तैयार किए जाते हैं।

लेखापरीक्षा के लिए अभी तक (जून 1978) वर्ष 1976-77 के प्रोफार्मा लेखे केवल 10 उपक्रमों (अनुबंध-क की क्रम संख्या 9,10,16,18,23, 27,29,31,35 और 38) से ही प्राप्त हुए हैं। नवीनतम उपलब्ध लेखाओं के आधार पर सब विभागीय उपक्रमों के संक्षिप्त वित्तीय परिणामों को दर्शाने वाला संक्षिप्त विवरण अनुबंध 'क' में दिया गया है ।

अनुबंध 'क'

विभागीय रूप से प्रबन्धित उपक्रमों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

(आंकड़े हजार पर्यों में)

क्रम संख्या	उपक्रम का नाम	लेखा अवधि	सरकारी पूंजी	ब्लाक परिसम्पत्तियां (निवल)	अद्यतन मूल्यह्रास	लाभ (+) हानि (—)	सरकारी पूंजी पर ब्याज	कुल प्रतिलाभ	कुल प्रतिलाभ की औसत पूंजी से प्रतिशतता	अभ्यक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
वित्त मंत्रालय										
1.	भारतीय सुरक्षा प्रैस, नासिक रोड	1975-76	3,31,74	3,19,76	1,46,27	(+) 2,09,16	55,10	(+) 2,64,26	25.42	
2.	मुद्रा नोट प्रैस, नासिक रोड	1975-76	5,37,83	4,56,08	1,40,76	(+) 1,56,00	52,38	(+) 2,08,38	21.08	
3.	सरकारी अफीम फैक्टरी, गाजीपुर	1975-76	22,02	18,24	4,42	(+) 10,47,59	..	(+) 10,47,59	..	
4.	सरकारी अफीम फैक्टरी, नीमच	1975-76	14,77	13,74	1,03	(+) 12,15,03	..	(+) 12,15,03	..	
5.	सरकारी अल्कलायड वर्क्स, नीमच	1974-75	1,83,89	**	**	**	**	**	**	**कोई आंकड़े नहीं है क्योंकि उपक्रम निर्माणाधीन है।
6.	सरकारी अल्कलायड वर्क्स, गाजीपुर	1975-76	8,18	5,59	2,59	(—) 24,90	2,23	(—) 22,67	..	
7.	भारत सरकार टकसाल, बम्बई	1974-75	6,83,19	1,59,25	*7,11	(+) 9,27,42	1,96	(+) 9,29,38	175.87	
8.	भारत सरकार टकसाल, कलकत्ता	1975-76	1,40,18	1,19,20	1,87,80	(+) 4,70,49	64,49	(+) 5,34,98	43.97	
9.	भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद	1976-77	5,67,73	1.81,19	31,31	(+) 1,71,00	40,08	(+) 2,11,08	28.44	
10.	परख विभाग, बम्बई	1976-77	1,70	1,42	*10	(+) 4,17	..	(+) 4,17	..	
11.	परख विभाग, कलकत्ता	1975-76	74	67	*3	(+) 59	..	(+) 59	..	
12.	चांदी परिशोधनशाला, कलकत्ता	1974-75	59,62	51,08	62,86	(—) 2,06,98	3,16,25	(+) 1,09,27	3.36	
13.	बैंक नोट प्रैस, देवास	**								**वर्ष 1976-77 के लिए उपक्रम के लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय										
14.	आकाशवाणी	1973-74	49,07,60	पूंजीगत परिसम्पत्तियां 34,45,34 राजस्व परिसम्पत्तियां 44,28	14,62,26 *9,63	(—) 1,24,30	1,52,62	(+) 28,32	0.91	
15.	रेडियो प्रकाशन, आकाशवाणी	1973-74	1,23,38	14	*3	(—) 12,34	25	(—) 12,09	..	
16.	फिल्म प्रभाग	1976-77	1,16,05	1,19,79	1,00,78	**(—) 1,40,32	12,70	**(—) 1,27,62	..	**निःशुल्क प्रदर्शन के लिए विमोचित फिल्मों पर सैद्धांतिक मूल्य 70,29,116 रु० के समायोजन से पूर्व।
17.	वाणिज्यिक प्रसारण सेवा, आकाशवाणी	1973-74	53,70	पूंजीगत परिसम्पत्तियां 45,98 राजस्व परिसम्पत्तियां 6,97	7,72 *42	(+) 3,31,74	..	(+) 3,31,74	..	
संचार मंत्रालय										
18.	समुद्रपार संचार सेवा बम्बई	1976-77	29,09,08	8,57,09	**7,04,46	(+) 19,49,06	1,29,13	(+) 20,78,19	86.56	**"ब्याज" जिसे स्थिर परिसम्पत्तियों से निकाल दिया गया है, पर मूल्यह्रास का द्योतक 2,68,73 हजार रु० की राशि शामिल नहीं है।
जहाजरानी एवं परिवहन मंत्रालय							††			
19.	दीपघर और दीपपोत विभाग	1975-76	***15,98,39	13,83,78	2,17,89	(+) 8,05	23,89	(+) 31,94	2,13	***इसमें सरकारी पूंजी लेखा और पूंजीगत परिव्यय लेखा के शेष शामिल हैं। ††वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं० एफ० 1(35)-बी/71 दिनांक 23-1-74 में निहित अनुदेशों के अनुसार ब्याज नहीं लगाया गया है।
20.	जहाजरानी, विभाग, अंडमान	1972-73	43,58	56,80	*7,89	(—) 80,15	4,47	(—) 75,68	..	
21.	नौका सेवा, (क) अंडमान	1974-75	2,69	14,09	*2,49	(—) 19,38	70	(—) 18,68	..	

(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
कृषि और सिंचाई मंत्रालय									
24. केन्द्रीय उर्वरक पूल	1969-70	58,31,29	..	..	(+) 3,87,78	1,62,89	(+) 5,50,67	15.63	
25. दिल्ली दुग्ध योजना	1975-76	4,95,21	2,89,38	3,59,71	(—) 5,76,78	44,87	(—) 5,31,91	..	
26. वन विभाग, अंडमान	1974-75	51,40	50,06	*5,46	(+)**51,84	5,91	(+) 57,75	99.33	**विभागीय कर्षण पर रायल्टी के 49.76 लाख रु० शामिल है जोकि अभी तक सीधे पूंजीगत लेखा को क्रेडिट की जा रही थी।
27. बर्फ और हिमीकरण संयंत्र, एर्नाकुलम	1976-77	29,37	9,01	17,64	(—) 1,38	79	(—) 59	..	
गृह मंत्रालय									
28. राज्य परिवहन सेवा, (क) अंडमान	1974-75	7,31	9,91	27,67	(—) 11,12	47	(—) 10,65	..	
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय									
29. केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली	1976-77	16,87	7,65	**9,72	(+) 2,74	1,92	(+) 4,66	13.13	**मूल्यह्रास में केवल वर्ष 1976-77 के लिए पशुधन का उपयोग शामिल है।
30. चिकित्सा भण्डार डिपो (क)	1973-74	8,11,05	43,18	15 11	(+) 31,34	43,63	(+) 74,97	8.45	
31. केन्द्रीय मनोविकार संस्थान की बेकरी और सब्जी उद्यान, कनकी, रांची	1976-77	31	29	*0,5	(+) 4	1	(+) 5	23.34	
निर्माण और आवास मंत्रालय									
32. प्रकाशन विभाग, दिल्ली	1973-74**								**व्यापार तथा लाभ और हानि लेखे और तुलन-पत्र तैयार नहीं किए गए हैं, इसकी बजाय केवल भंडार लेखे तैयार किये जाते हैं।
33. भारत सरकार के मुद्रणालय	1974-75**								
ऊर्जा मंत्रालय									
34. बिजली विभाग, अंडमान (क)	1973-74	49,20	49,66	*3,10	(—) 28,00	2,68	(—) 25,32	..	
35. बिजली विभाग, लक्षद्वीप	1976-77	53,09	37,69	11,43	(—) 17,79	2,54	(—) 15,25	..	
परमाणु ऊर्जा विभाग									
36. परमाणु विद्युत प्राधिकरण	1974-75	1,11,57,40	53,94,03	12,82,48	(+) 31,65	4,81,52	(+) 5,13,17	4.92	
37. राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र-1	1975-76	61,40,59	53,51,54	4,68,95	(—) 1,22,28	3,51,48	(+) 2,29,20	3.46	आंकड़े लेखापरीक्षा न किए गए लेखाओं पर आधारित हैं।
वाणिज्य मंत्रालय									
38. पैथिनी चाय सम्पदा	1976-77 (1-4-1976 से 30-6-1976 तक)	38,07	25,81	11,66	(+) 2,57	77	(+) 3,34	5.89	उपक्रम का स्वामित्व 1 जुलाई 1976 से भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड को अंतरित कर दिया गया था।

*केवल इस वर्ष के लिए मूल्यह्रास।

(क) वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं० एफ० 1(35) बी/71 दिनांक 23-1-74 के अनुसार संशोधित क्रियाविधि के अनुसार प्रोफार्मा लेखे तैयार नहीं किए गए हैं।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

33. पटपड़गंज, दिल्ली में मदर डेरी की स्थापना

दिल्ली में एक दूसरी डेरी (मदर डेरी के नाम से जानी जाने वाली) की स्थापना का प्रस्ताव जनवरी 1967 से सरकार के विचाराधीन था। कृषि मंत्रालय द्वारा मार्च 1970 में दिल्ली दुग्ध योजना को प्रस्तावित मदर डेरी के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण से 37.03 लाख रु० तक अदायगी करके भूमि खरीदने के लिए संस्वीकृति भेजी गई और उसने यह अदायगी 31 मार्च 1970 को कर दी। अप्रैल 1970 में मदर डेरी के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (भारतीय सोसाइटी अधिनियम और बम्बई सार्वजनिक न्यास अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक सोसाइटी) को सौंप दिया गया जिसको डेरी की कुल लागत का एक प्रतिशत या 3 लाख रु०, जो भी अधिक हो, की फीस दी जानी थी।

प्रतिदिन 4 लाख लिटर तक दूध और दूध के उत्पादों के संसाधन और वितरण के लिए 471.47 लाख रु० (भूमि की लागत छोड़कर) की अनुमानित लागत से मदर डेरी की स्थापना के लिए अगस्त 1972 में मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित अनुबंधों सहित संस्वीकृति दी गई :—

(i) डेरी के लिए मशीनों और उपस्करों का सम्बद्ध सुविधाओं के साथ अधिप्राप्ति और प्रतिष्ठापन का कार्य राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के सहयोग से भारतीय डेरी निगम (भा० डे० नि०—एक सरकारी कम्पनी) को टर्न-की आधार पर सुपुर्द किया गया।

(ii) सम्पूर्ण लागत का समायोजन 'आपरेशन फ्लड' के अन्तर्गत विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा दान में दिए गए सपरेटा पाउडर और बटर आयल की बिक्री से प्राप्त निधि के प्रति किया जाना था और व्यय के लिए आवश्यक प्रावधान दिल्ली दुग्ध योजना के बजट में किया जाना था।

(iii) इस प्रश्न पर कि मदर डेरी का परिचालन नियंत्रण दिल्ली दुग्ध योजना को दिया जाए अथवा किसी भिन्न निगम को दिया जाए, बाद में अलग से विचार किया जाना था।

जून 1973 में मंत्रालय ने निर्णय किया कि चूंकि मदर डेरी की सम्पूर्ण लागत भारतीय डेरी निगम द्वारा 'आपरेशन फ्लड' निधि से वहन की जानी थी, इसलिए न तो मंत्रालय के और न ही दिल्ली दुग्ध योजना के बजट में किसी राशि के प्रावधान की आवश्यकता थी और राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, भारतीय डेरी निगम की ओर से जिसे इस परियोजना का कार्यान्वयन टर्न-की आधार पर पहले ही दे दिया गया था, निष्पादन एजेंसी के रूप में काम करेगा। यह भी निर्णय किया गया कि निर्माण के पश्चात् मदर डेरी के परिचालन का नियंत्रण भारतीय डेरी निगम/राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड सरकार द्वारा नामित एजेंसी को दे देगा। इस प्रयोजन के लिए भारतीय डेरी निगम की एक सहायक कम्पनी स्थापित करने का प्रस्ताव अलग से विचाराधीन बताया गया था (जून 1973)।

मदर डेरी में उत्पादन दिसम्बर 1974 में प्रारम्भ हो गया और यह बताया गया कि प्रतिदिन लगभग 2 लाख लिटर दूध की बिक्री हो रही है (सितम्बर 1977)। भारतीय डेरी निगम द्वारा मार्च 1977 तक किया गया कुल व्यय 486.88 लाख रु० था। मार्च 1976 तक हुआ व्यय निगम के लेखाओं में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को पेशगी के रूप में दिखाया गया था। 1976-77 के लेखाओं में दी गई कुल पेशगियों को मदर डेरी, दिल्ली को 30:70 के अनुपात में दिए गए अनुदान और कर्जे के रूप में समायोजित कर दिया गया यद्यपि मदर डेरी की कोई पृथक कानूनी हैसियत नहीं है।

जबकि मदर डेरी के निर्माण का कार्य रा० डे० वि० बो० द्वारा भा० डे० नि० की ओर से आरम्भ किया गया था, दिसम्बर 1974 में उत्पादन प्रारम्भ होने के बाद मदर डेरी के परिचालन का नियंत्रण लेने के लिए सरकार द्वारा कोई भिन्न एजेंसी नामित नहीं की गई है और परिचालन नियंत्रण राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के पास ही है। यद्यपि मदर डेरी का स्वामित्व सरकार में निहित है, फिर भी न तो पूंजीगत परिव्यय और न ही दूध की बिक्री भारत की समेकित निधि में दिखाई जाती है, दूध की बिक्री मदर डेरी द्वारा अपने दिन प्रतिदिन के कार्यचालन व्यय को पूर'

करने के लिए अपने पास रख ली जाती है । परिणामतः मदर डेरी की स्थापना पर हुआ पूंजीगत परिव्यय और इसके परिचालन व्यय और उससे हुई आय संसदीय वित्तीय नियंत्रण के क्षेत्र से बाहर रहे हैं ।

मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 1977) कि मदर डेरी के कार्यों के प्रबंध के लिए एक अलग कम्पनी की स्थापना का प्रश्न सरकार के विचाराधीन था और उसके बारे में निर्णय शीघ्र ही लिया जाना था । आगे की कार्यवाही प्रतीक्षित थी (अप्रैल 1978) ।

मंत्रालय ने आगे बताया (फरवरी 1978) कि दिसम्बर 1974 से मार्च 1977 तक की अवधि के लिए लेखाओं का विवरण राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा तैयार करके मंत्रालय को प्रस्तुत कर दिया गया था ।

अध्याय VII

बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियां और निरीक्षण प्रतिवेदन

34. **बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियां** .—सरकार के वित्तीय लेन-देनों पर की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियां विभागीय प्राधिकारियों को समय-समय पर सूचित की जाती हैं। ऐसी टिप्पणियों के अर्ध-वार्षिक प्रतिवेदन जो छः महीनों से अधिक समय तक बकाया पड़े रहते हैं, लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा प्रशासकीय मंत्रालयों को उनके द्वारा शीघ्र निपटान के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के लिए भेज दिए जाते हैं :—

(i) केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली के लेखाओं का क्रमबद्ध रूप (1 अप्रेल 1976, 1 जुलाई 1976, 1 अक्तूबर 1976 और 1 मार्च 1977) से विभागीयकरण किए जाने पर लेखापरीक्षा कार्यालयों में वाऊचर प्राप्त नहीं होते हैं। अतः बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियां केवल उन्हीं टिप्पणियों की द्योतक हैं जो लेखाओं के विभागीयकरण की तारीख से पहले की गई थीं। निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों और उनके संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों में ऐसी लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संख्या और जो 31 अगस्त 1977 को बकाया थीं, निम्नलिखित थीं :—

मंत्रालय/विभाग	लेखाओं के विभागीयकरण की तारीख तक की गई टिप्पणियों की कुल संख्या जो 31 अगस्त 1977 को बकाया है	कुल राशि (लाख रु० में)	1 अप्रैल 1974 से पहले की गई टिप्पणियों की संख्या	राशि (लाख रु० में)
1	2	3	4	5
	क-सिविल विभाग			
कृषि और सिंचाई . .	4,020	182.33	1,223	62.85
सिविल पूर्ति और सहकारिता .	97	47.71	85	46.59

1	2	3	4	5
शिक्षा और समाज कल्याण .	2,539	123.16	1,062	44.50
ऊर्जा . . .	2,795	1,960.20	480	212.83
विदेशी मामले . .	2,507	140.16	1,688	60.96
वित्त . . .	7,611	406.66	2,845	49.90
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण .	2,074	191.05	1,011	119.13
गृह . . .	6,186	568.55	2,597	194.36
उद्योग . . .	193	33.39	64	0.29
सूचना और प्रसारण .	1,345	58.41	343	11.04
श्रम . . .	636	45.22	192	27.25
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य .	664	23.60	91	1.27
योजना . . .	763	42.78	146	3.16
जहाजरानी और परिवहन .	8,852	3,547.94	3,979	2,205.95
इस्पात और खान . .	2,887	74.51	1,258	37.13
पूर्ति और पुनर्वास . .	604	47.47	344	27.17
पर्यटन और सिविल विमानन .	1,340	141.50	569	81.09
निर्माण और आवास .	15,097	6,109.09	2,933	1,013.37
संस्कृति . . .	2,196	148.03	575	36.11
इलैक्ट्रानिक्स . .	512	45.48	220	6.26
ख. विभागीय प्रबंधाधीन वाणिज्यिक और अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रम				
ऊर्जा . . .	62	1.58	33	0.89
सूचना और प्रसारण . .	57	1.54	2	0.06

(ii) बकाया टिप्पणियों का विस्तृत विश्लेषण निम्नलिखित हैं :—

टिप्पणियों के प्रकार	मदों की संख्या	राशि (लाख रुपयों में)
1	2	3
क. सिविल विभाग		
(क) स्थापना के लिए संस्वीकृतियां प्राप्त न होना .	821	66.91
(ख) आकस्मिक और विविध व्यय के लिए संस्वीकृतियां प्राप्त न होना . .	2,905	343.64
(ग) अनुमानों के लिए संस्वीकृतियां प्राप्त न होना	3,569	1,181.99
(घ) एक मुश्त आहरणों से सम्बद्ध ब्यौरेवार बिलों का प्राप्त न होना . .	7,827	1,128.46

1	2	3
(ङ) वाऊचरों का प्राप्त न होना . .	5,327	287.18
(च) प्राप्तकर्ताओं की रसीदों का प्राप्त न होना.	30,450	2,278.79
(छ) ठेकेदारों/पूर्तिकारों के साथ हुए करारों का प्राप्त न होना . . .	1,265	3,464.87
(ज) ठेकेदारों/पूर्तिकारों को संविदाओं और करारों के अनुसार अदायगियां न किया जाना .	608	138.29
(झ) हानियां आदि को बट्टे खाते डालने के संबंध में संस्वीकृतियां प्राप्त न होना . .	301	95.04
(ञ) वित्तीय औचित्य का उल्लंघन . .	52	3.46
(ट) स्टाक की आरक्षित सीमा/आरक्षित स्टाक से अधिक (स्टाक) के लिए संस्वीकृतियां प्राप्त न होना . . .	18	17.20
(ठ) जमा कार्यों पर जमा राशि के बिना/जमा राशि से अधिक किया गया व्यय .	4	39.45
(ड) सामान की कमी, सामान का लेखे में न दर्शाया जाना/कम दर्शाया जाना, विशिष्टियों से कम कोटि के माल को स्वीकार करना, चोरी, क्षति आदि के कारण हानि .	18	173.40
(ढ) अफीम कृषकों को की गई अदायगी के वितरण प्रमाण पत्र प्राप्त न होना . .	19	138.78
(ण) तकनीकी संस्वीकृति/प्रशासनिक अनुमोदन से अधिक और प्रशासनिक अनुमोदन से अधिक तकनीकी संस्वीकृति . .	1,639	2,860.27
(त) भूमि अधिनिर्णय संबंधी विवरण प्राप्त न होना	571	665.00
(थ) अन्य कारण . . .	7,524	1,054.41
ख. विभागीय प्रबंधाधीन वाणिज्यिक और अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रम		
(क) आकस्मिक और विविध व्यय के लिए संस्वीकृतियां प्राप्त न होना . .	20	0.10
(ख) एक मुश्त आहरणों से सम्बद्ध ब्यौरेवार बिलों का प्राप्त न होना . .	2	0.06
(ग) वाऊचरों का प्राप्त न होना . .	1	1.15
(घ) प्राप्तकर्ताओं की रसीद प्राप्त न होना .	57	1.78
(ङ) अन्य कारण . . .	9	0.03

ऐसे व्यय, जिससे सम्बद्ध ब्यौरेवार बिल और वाऊचर लेखाओं के विभागीयकरण से पूर्व क्रियाविधि के अनुसार लेखापरीक्षा कार्यालयों को प्रस्तुत नहीं किए गए थे, की विस्तृत लेखापरीक्षा संवीक्षा नहीं की जा सकती। ऐसे मामलों में और उन मामलों में भी जिनमें प्राप्तकर्ताओं की रसीदें आदि प्रस्तुत नहीं की गई थीं, यह संभव हो सकता है कि दुर्विनियोग, धोखाधड़ी आदि का पता न चले।

35. **बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन**.—केंद्रीय कार्यालय में की गई लेखापरीक्षा का स्थानीय निरीक्षण द्वारा अनुपूरण किया जाता है। स्थानीय लेखापरीक्षा तथा निरीक्षणों के दौरान ध्यान में आई प्रारम्भिक लेखाओं की सभी महत्वपूर्ण वित्तीय अनियमितताएं और त्रुटियां निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल कर दी जाती हैं और उन्हें विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जहां आवश्यक हो, निरीक्षण प्रतिवेदनों के अर्ध-वार्षिक विवरण भी प्रशासकीय मंत्रालयों को भेज दिए जाते हैं।

(i) वे मंत्रालय/विभाग, जिनसे बकाया (रिपोर्टें) अपेक्षाकृत अधिक हैं, नीचे दिए जाते हैं:—

मंत्रालय/विभाग	सबसे पहले बकाया प्रतिवेदनों के जारी किए जाने का वर्ष	बकाया प्रतिवेदनों की संख्या	प्रतिवेदनों में बकाया पैराग्राफों की संख्या
1	2	3	4
क. सिविल विभाग			
कृषि और सिंचाई . . .	1952–53	991	5,117
वाणिज्य	1964–65	340	1,432
शिक्षा और समाज कल्याण . .	1954–55	1,310	3,561
ऊर्जा	1960–61	638	8,120
विदेशी मामले	1960–61	231	978
वित्त	1956–57	1,341	4,161
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण . .	1957–58	261	967
गृह	1956–57	831	2,497
उद्योग	1960–61	149	473

1	2	3	4
सूचना और प्रसारण . . .	1962–63	150	541
श्रम	1962–63	295	1,039
विधि, न्याय और कम्पनी काय . .	1959–60	120	301
योजना	1966–67	180	525
जहाजरानी और परिवहन . .	1954–55	872	3,101
पूर्ति और पुनर्वास . . .	1956–57	568	2,620
इस्पात और खान . . .	1965–66	156	717
पर्यटन और सिविल विमानन . .	1956–57	299	1,318
निर्माण और आवास . . .	1954–55	2,040	16,721
संस्कृति	1958–59	120	452
ख. विभागीय प्रबंधाधीन वाणिज्यिक और अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रम			
वित्त	1966–67	25	81
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण . .	1964–65	30	113
सूचना और प्रसारण . . .	1969–70	66	190
जहाजरानी और परिवहन . .	1971–72	10	32
निर्माण और आवास . . .	1967–68	27	83

(ii) निरीक्षण और स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आई अधिक महत्वपूर्ण अनियमितताओं का संक्षिप्त रूप से सारांश नीचे दिया जाता है :—

	उन कार्यालयों की संख्या जिनमें अनियमितताएँ पाई गई
क. सिविल विभाग	
1. लोक निर्माण कार्यालय—	
कार्यालयों की संख्या जिनका निरीक्षण 1976-77 के दौरान किया गया	485

(i) दोषपूर्ण योजनाओं, रूपरेखाओं और निर्माण कार्यों के परित्याग के कारण अपव्यय तथा निष्फल व्यय . . .	61
(ii) निम्नतम निविदाओं की अस्वीकृति अथवा निविदाओं की स्वीकृति में विलम्ब के कारण सरकार द्वारा अतिरिक्त व्यय का वहन	21
(iii) ठेकों की शर्तों का पालन न करने अथवा ठेकों में आवश्यक रक्षोपाय की व्यवस्था न करने के कारण अधिक अदायगियां . .	32
(iv) खरीद आदेशों को विभाजित किया जाना . . .	14
(v) ठेकेदारों को अनधिकृत वित्तीय सहायता . . .	25
(vi) ठेकेदारों से जमानत जमाओं की वसूली किए जाने और ठेकेदारों के बिलों की अदायगी में विलम्ब	20
(vii) सड़क की रोड़ी के प्रारम्भिक लेखाओं, कार्य स्थल पर सामग्री के लेखाओं आदि को रखने और/या न रखने के कारण बकाया .	71
(viii) अन्य अनियमितताएं	292

2. खजाने और अन्य सिविल कार्यालय :—

कार्यालयों की संख्या जिनका निरीक्षण 1976-77 के दौरान किया गया	1,611
(i) रोकड़ की अभिरक्षा और सम्भाल, रोकड़ बहियों, उपस्थिति नामावली खतियाना और रखना, रोकड़ का प्रत्यक्ष सत्यापन, विभागीय प्राप्तियों और प्रेषणों का खजाना अभिलेखों से मिलान, मापों को दर्ज करने आदि से सम्बद्ध नियमों का पालन न किया जाना .	312
(ii) रोकड़ और भण्डारों को सम्भालने वाले व्यक्तियों से जमानत का न लिया जाना और यदि ली गई तो विहित राशि न लेना .	104

(iii) भण्डार लेखाओं को ठीक प्रकार से न रखा जाना और आवधिक सत्यापन न किया जाना 250

(iv) स्टाफ कारों आदि के रोजनामचों (लॉग बुक) का दोषपूर्ण रखा जाना और/या न रखा जाना] 124

(v) लेखन सामग्री की अधिकृत सीमाओं से अधिक स्थानीय खरीद और उचित संस्वीकृति के बिना किया गया व्यय . . . 101

(vi) प्राप्तियों, पेशगियों और अन्य प्रभारों आदि की वसूली में विलम्ब और/या वसूली न की जानी 204

(vii) चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि लेखाओं को ठीक प्रकार से नहीं रखा गया 104

(viii) अनुदान की वास्तविक आवश्यकताओं से अधिक अदायगी . 22

(ix) कर्जों, हानियों आदि को बट्टे खाते डालने के लिए संस्वीकृतियां प्राप्त न होना 70

(x) लेखापरीक्षा में अस्वीकृत अधिक अदायगी की राशियों की वसूली न की जानी 117

(xi) पुस्तकालय की पुस्तकों की वसूली, प्रत्यक्ष सत्यापन आदि न किया जाना 14

(xii) अन्य प्रकार की अनियमितताएँ 878

ख. विभागीय प्रबंधाधीन वाणिज्यिक और अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रम

कार्यालयों की संख्या जिनका निरीक्षण 1976-77 के दौरान किया गया 128

(i) रोकड़ की अभिरक्षा और संभाल, रोकड़ बहियों, उपस्थिति नामावली खतियाना और रखना, रोकड़ का प्रत्यक्ष सत्यापन, विभागीय प्राप्तियों और प्रेषणों का खजाना, अभिलेखों से मिलान, मापों को दर्ज करने आदि से सम्बद्ध नियमों का पालन न किया जाना . 13

(ii) भण्डार लेखाओं का ठीक प्रकार से न रखा जाना और आवधिक सत्यापन न किया जाना 12

(iii) प्राप्तियों, पेशगियों और अन्य प्रभारों आदि की वसूली में विलम्ब और/ वसूली न की जानी 7

(iv) अन्य प्रकार की अनियमितताएँ 77

रुमेश चन्द्र सूरी

नई दिल्ली :
दिनांक 16-8-1978

(रुमेश चन्द्र सूरी)
महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व

प्रतिहस्ताक्षरित

ज्ञान प्रकाश

नई दिल्ली :
दिनांक 16-8-1978

(ज्ञान प्रकाश)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट I

(देखिए पैराग्राफ 7)

मुख्य निवेश और लाभांश

उपक्रम/व्यापारिक संस्थान का नाम	निवेश			सरकार के जमा खाते डाला गया लाभांश	
	1975-76 के दौरान	1976-77 के दौरान	1976-77 तक	1975-76 के दौरान	1976-77 के दौरान
1	2	3	4	5	6
		(लाख रुपयों में)			
I. सांविधिक निगम---					
एयर इंडिया कारपोरेशन	300	200	6,682	..	..
इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन .	..	..	5,278	..	..
तेल और प्राकृतिक गैस आयोग . .	3,210	7,409	24,134	..	..
जीवन बीमा निगम .	..	..	500	..	..
केन्द्रीय भांडागार निगम .	184	272	2,018	@67	55
भारतीय खाद्य निगम .	10,575	1,424	20,460	..	..
II. (क) सरकारी कम्पनियां---					
भारतीय तेल निगम लिमिटेड .	..	1,100	8,208	569	569
नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड .	3,811	1,650	17,903	..	..

@बाद में की गई शुद्धियों के कारण पिछले वर्ष के आंकड़ों से भिन्न है।

1	2	3	4	5	6
भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड . .	..	..	13,000	..	..
हिन्दुस्तान इस्पात लिमिटेड	..	..	61,085	..	..
हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड .	50	..	16,179	..	..
हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड . .	40	70	422	..	..
हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	84	46	1,182	@..	54
नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड .	..	..	255	..	..
भारत का राज्य व्यापार निगम .	..	..	1,000	120	150
खनिज और धातु व्यापार निगम .	..	..	900	108	135
राष्ट्रीय कोयला विकास निगम . .	..	..	14,332	..	..
फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	12,529	11,100	66,275	..	..
हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड . .	163	140	*3,431	..	..
हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड . .	206	127	1,734	..	..
भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड . .	..	..	412	50	..
मुगल लाइन्स लिमिटेड .	..	..	313	..	..
नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड .	..	34	432	..	..
हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लिमिटेड .	83	354	562	10	11

@बाद में की गई शुद्धियों के कारण पिछले वर्ष के आंकड़ों से भिन्न है।

*इसमें भूतपूर्व मशीन टूल्स कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, अजमेर से संबंधित 460 लाख रु० शामिल हैं जो प्रोफार्मा ले लिए गए हैं।

1	2	3	4	5	6
बोकारो स्टील लिमिटेड .	..	..	60,000	..	..
राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड .	..	..	7,604	..	..
फर्टिलाइजर्स एंड केमीकल्स, त्रावणकोर .	474	16	7,056	..	..
भारतीय जहाजरानी निगम .	..	..	2,795	168	..
सिंगरेनी कोयला कंपनी लिमिटेड . .	..	..	272	..	..
राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड .	50	50	445	..	..
इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स लिमिटेड	350	810	4,580	..	..
मजगांव गोदी (डाक) लिमिटेड . .	..	..	488	29	59
हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड .	..	..	5,695	100	100
गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लि० (पहले गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड) .	300	400	1,425	..	..
इंडियन रेयर अर्थ्स .	125	..	323	15	17
प्राग टूल्स लिमिटेड .	35	281	579	@..	..
हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमीकल्स लिमिटेड .	..	..	970	48	48
हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड . .	1,000	..	1,632	..	..
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड .	200	..	750	..	..

@बाद में की गई शुद्धियों के कारण पिछले वर्ष के आंकड़ों से भिन्न हैं।

1	2	3	4	5	6
भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड . .	912	1,300	4,211	..	..
भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड .	140	50	1,360	30	..
खनन और सम्बद्ध मशीनरी निगम लिमिटेड . .	2,380	..	4,380	..	..
हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड . .	1,500	1,350	4,750	..	..
भारत एल्युमीनियम कम्पनी . .	300	328	9,768	..	..
राज्य ऐग्रो इन्डस्ट्रीज निगम . .	239	..	2,828	16	..
हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन	656	1,801	4,808	..	..
केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम .	146	134	733	..	..
ग्राम विद्युतीकरण निगम लिमिटेड . .	500	500	6,000	50	55
आवास और नगर विकास निगम .	200	400	1,300	..	..
कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड . .	3,845	..	11,550	..	..
भारतीय जूट निगम .	100	..	300	4	..
भारतीय कपास निगम लिमिटेड . .	100	150	400	..	25
खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड . .	400	340	1,449	..	..
भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड .	8,391	9,854	(क)25,367	..	..
भारत ऑपथैल्मिक ग्लास लिमिटेड . .	270	..	310	..	..

(क) 100 लाख रु० स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० से भारत कोकिंग कोल लि० को प्रोफार्मा अन्तरित किए गए।

1	2	3	4	5	6
भारतीय पेट्रो-रसायन निगम लिमिटेड .	6,600	3,100	18,600	..	..
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड . .	4,167	..	(क) 4,953	..	..
नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड	..	7,190	8,975	..	..
ड्रैजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड .	1,984	..	1,984	..	..
कुद्रेमुख आइरन ओर कम्पनी लिमिटेड .	..	3,761	3,761	..	..
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक .	5,000	..	5,000	..	..
राष्ट्रीय जल विद्युत् शक्ति निगम लिमिटेड	30	2,108	2,138	..	..
ब्रैथवेट एण्ड कम्पनी लिमिटेड	..	1,003	1,003	..	..
बर्न स्टैन्डर्ड कम्पनी .	..	883	883	..	..
(ख) अन्य कंपनियां—					
इंडियन एक्सप्लोसिव्ज लिमिटेड . .	..	..	274	@33	34
नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड . .	6,300	9,927	17,676	..	..
आयल इंडिया लिमिटेड	(का)—84	(का)—130	1,548	24	261
ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन	..	..	106	..	..
III अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम	..	..	211	..	..
IV. अन्य	**5,799	13,662	77,314	*694	1,871
जोड़ . .	***83,644	83,194	5,85,251	2,135	3,444

(क) 100 लाख रु० स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड से भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को प्रोफार्मा अन्तरित किए गए।

@बाद में की गई शुद्धियों के कारण पिछले वर्ष के आंकड़ों से भिन्न हैं।

**कुछ निवेशों को अलग से दिखाए जाने के कारण पिछले वर्ष के आंकड़ों से भिन्न है।

***1975-76 (664 लाख रु०) और 1976–77 (5000 लाख रु०) के दौरान बाद में की गई शुद्धियों के कारण पिछले वर्ष के आंकड़ों से 5,664 लाख रु० का अन्तर है।

(का) डिबेंचर स्टाक के प्रतिदान का द्योतक है।

*पिछले वर्ष के आंकड़े से (i) 1975-76 में और संशोधनों तथा (ii) निवेश की कुछ मदों को अलग-अलग दिखाने के कारण भिन्न है।

परिशिष्ट II

[पैराग्राफ 18(ख) के अनुसार]

सरकारी कम्पनियों, गैर-सरकारी संस्थाओं, स्थानीय निधियों, खेतिहरों आदि को दिए गए कर्जों और पेशगियों की वसूली की बकाया राशियां ।

जिसे कर्जा दिया गया	31 मार्च 1977 को बकाया राशि		बकाया राशि से संबंधित सबसे पहली अवधि
	मूलधन	ब्याज	
1	2	3	4
			(लाख रु० में)
कृषि और सिंचाई मंत्रालय			
(खाद्य विभाग)			
भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली . .	29.90	0.05	1976-77
वाणिज्य मंत्रालय			
चाय व्यापार निगम, कलकत्ता . .	2.22	2.00	1976-77
हस्तशिल्प एम्पोरियम, मद्रास . .	4.69	..	*
हस्तशिल्प एम्पोरियम, केरल . .	..	12.94	*
केन्द्रीय कुटीर उद्योग संघ, जनपथ, नई दिल्ली .	15.36	10.39	1973-74
इंडिया यूनाइटेड मिल्स बम्बई . .	175.00	..	1965-66
शिल्पी केन्द्र, बम्बई . . .	0.10	..	1971-72
	197.37	25.33	
रसायन और उर्वरक मंत्रालय			
पाइराइट्स फॉसफेट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली . . .	..	29.29	1976-77
	(1977-78 में वसूल कर ली गई)		
इंडियन ड्रग्ज एण्ड फार्मेस्युटिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली	..	687.24	1976-77
	(1978-79 में वसूल कर ली गई)		
	..	716.53	

*सूचना प्रतीक्षित है।

1	2	3	4
संचार मंत्रालय			
टेलीपोस्ट कोओपरेटिव हाऊस कंस्ट्रकशन सोसाइटी लि०, मद्रास .	..	1.15	1964-65
न्यू स्विचिंग फैक्टरी, रायबरेली . .	9.50	7.18	1975-76
आई० टी० आई० ट्रांसमिशन फैक्टरी, नैनी .	9.55	3.91	1976-77
टेलीफोन इन्स्ट्रूमेंट फैक्टरी, नैनी . .	4.50	2.39	1976-77
	23.55	14.63	
नागरिक आपूर्ति और सहकारिता मंत्रालय			
सुपर बाजार, नई दिल्ली . .	1.83	0.25	1972-73
दिल्ली प्रशासन			
दिल्ली नगर निगम . . .	120.72	111.96	1965-66
रक्षा मंत्रालय			
व्यक्ति को कर्जे . . .	33.48	2.51	1970-71
मजगांव डाक लि०, बम्बई . .	..	7.37	1973-74
गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लि० (पहले गार्डन रीच वर्कशाप, कलकत्ता)* .	194.52	145.72	1972-73
गोवा शिपयार्ड लि०, वास्को-डि-गामा .	27.00	7.88	1969-70
भारत इलैक्ट्रानिक्स लि०, बैंगलौर .	86.00	..	1974-75
भारत अर्थ मूवर्स लि०, बैंगलौर . .	130.42	81.47	1974-75
आंध्र साइंटिफिक कं० . . .	..	5.90	1974-75
उपभोक्ता सहकारी स्टोर्स, डमडम . .	0.17	..	1974-75
	471.59	250.85	
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय			
विभिन्न शिक्षण संस्थाएं और इंजीनियरिंग महाविद्यालय* .	163.67	56.54	1960-61
विद्या भवन सोसाइटी, उदयपुर . .	1.13	..	1966-67
प्युपिल्स एजुकेशन सोसाइटी, बम्बई .	0.75	..	1974-75
नेशनल स्पोर्टस क्लब आफ इंडिया, बम्बई .	0.42	0.07	1975-76

*संस्था के सामने दिए गए आंकड़े लेखाओं के पूर्व-विभागीयकरण की तारीख तक के हैं। लेखाओं के विभागीयकरण के बाद की अवधि के लिए सूचना अभी प्रतीक्षित है।

1	2	3	4
कोआपरेटिव कैपटस स्कूल्स, दिल्ली/नई दिल्ली* .	2.43	2.14	1963-64
इंस्टीटयूट ऑफ टेलीकम्यूनिकेशन्स, नई दिल्ली* .	1.07	—	1073-74
काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, नई दिल्ली* .	0.20	—	1974-75
	169.67	58.75	
इलेक्ट्रानिक्स विभाग			
केरल स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेवलेपमेन्ट कारपोरेशन त्रिवेन्द्रम ..		0.79	1976-77
ऊर्जा मंत्रालय			
(विद्युत विभाग)			
दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान, नई दिल्ली .	906.15	1554.77	1974-75
ऊर्जा मंत्रालय			
(कोयला विभाग)			
कोल इंडिया लि० कलकत्ता . .	361.11	1392.32	1975-76
भारत कोकिंग कोल लि०, धनबाद . .	..	939.52	1973-74
राष्ट्रीय कोयला विकास निगम, नई दिल्ली .	..	887.75	1974-75
	361.11	3219.59	
गृह मंत्रालय			
दिल्ली नगर निगम दिल्ली . .	140.13	53.10	1968-69
गृह मंत्रालय			
(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)			
केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति, नई दिल्ली . . .	2.00 (1977-78 में वसूल किए गए मूलधन और ब्याज के क्रमशः 2.00 लाख रु० और 0.65 लाख रु०)	0.70	1976-77
विभागीय कैंटीन . . .	0.02	..	1976-77
	2.02	0.70	

*संस्था के सामने दिए गए आंकड़े लेखाओं के पूर्व-विभागीयकरण की तारीख तक के हैं। लेखाओं के विभागीयकरण के बाद की अवधि के लिए सूचना अभी प्रतीक्षित है।

1	2	3	4
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग)			
तिबिया कालेज बोर्ड और अस्पताल, नई दिल्ली . . .	2.00	..	1962-63
उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग)			
ग्रेशम एंड क्रेवन, कलकत्ता . .	..	0.32	1976-77
बर्न एण्ड कम्पनी लि०, कलकत्ता . .	..	108.84	1976-77
आर्थर बटलर एंड कम्पनी लि०, मुजफ्फर पुर (बिहार)	..	2.28	1976-77
माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन दुर्गापुर	2.00	116.08	1972-73
भारत पंप एंड कम्प्रेशर लि० नैनी . .	..	77.38	1976-77
स्कूटर्स इंडिया लि० लखनऊ . .	119.01	116.74	1974-75
त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लि०, नैनी . .	96.89	167.45	1971-72
हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०, बंगलौर .	348.34	146.26	1973-74
तुंगभद्रा स्टील प्राडक्ट्स लि०, कर्नाटक .	22.77	14.35	1973-74
भारी इंजीनियरिंग निगम लि०, रांची .	683.52	1034.48	1973-74
भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वेसेल्स लि०, विशाखापत्तनम	0.57	225.31	1971-72
मैसर्स ब्रैथवेट एंड कम्पनी, कलकत्ता .	575.94	262.69	1975-76
रिचर्डसन एण्ड क्रूडास लि०, बम्बई . .	..	47.09	1972-73
भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०, नई दिल्ली .	2553.60 (524.21 लाख रुपये वसूल कर लिए गए हैं)	..	1974-75
	4402.64	2319.27	
उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)			
भारतीय सीमेंट निगम लि०, नई दिल्ली .	3.46	2.87	1974-75
भारतीय चर्मशोधन और जूता निगम लि०, कानपुर	..	62.88	1974-75

1	2	3	4
हिन्दुस्तान केबिल्स लि०, रूपनारायणपुर .	5.43	6.89	1974-75
भारत आफ्थेलमिक ग्लास लि०, दुर्गापुर .	3.02 (1977-78 में वसूल किए गए मूलधन के 2.02 लाख रु०)	2.15	1974-75
नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल्स लि०, नेपानगर	0.68	0.04	1975-76
नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लि०, कलकत्ता . .	8.82	20.46	1974-75
इन्स्ट्रूमेंटेशन्स लि०, कोटा . .	11.67	14.98	1973-74
हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लि० उटकमंड . . .	..	67.94	1974-75
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, नई दिल्ली .	52.63	5.49	1974-75
खादी और ग्रामोद्योग आयोग बम्बई . .	630.46	705.63	1972-73
यूनिवर्सल ट्रेड एम्पोरियम, फरीदाबाद .	0.05	0.01	1970-71
डोगरा स्टील लि०, फरीदाबाद . .	0.12	0.43	1972-73
	716.34	889.77	
सूचना और प्रसारण मंत्रालय			
भारतीय फिल्म वित्त निगम, बम्बई . .	26.40	18.57	1971-72
समाचार भारती, नई दिल्ली . .	0.75	..	1972-73
आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड हैदराबाद*	—	0.04	1975-76
	27.15	18.61	
श्रम मंत्रालय			
बरबिल सेंट्रल कोआपरेटिव स्टोर्स लि०, बरबिल .	1.56	1.19	1967-68
पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय (पुनर्वास विभाग)			
राहत और कल्याण संयुक्त परिषद अलवर, राजस्थान . .	0.03	0.08	1955-56
हरिजन सेवक संघ, अहमदाबाद . .	0.35	..	1973-74
पुनर्वास उद्योग निगम लि०, कलकत्ता .	588.22	265.94	1970-71
दिल्ली नगर निगम . . .	35.52	41.12	1974-75
	624.12	307.14	

*संख्या के सामने दिए गए आंकड़े लेखाओं के पूर्व विभागीयकरण की तारीख तक के हैं। लेखाओं के विभागीयकरण के बाद की अवधि के लिए सूचना अभी प्रतीक्षित है।

1	2	3	4
जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय			
विशाखापत्तनम पत्तन न्यास . .	13.00	53.82	1972-73
	(1977-78 में वसूल किए गए मूलधन और ब्याज के लिए क्रमशः 9.25 लाख रु० और 10.32 लाख रु०)		
पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप . .	5.50	9.22	1976-77
कलकत्ता पत्तन न्यास, कलकत्ता . .	1018.63	1806.73	1973-74
कोचीन शिपयार्ड लि०, कोचीन . .	..	390.67	1976-77
केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लि०, कलकत्ता . . .	650.52	710.73	1963-64
विभागीय कैंटीन, . .	0.04	..	1975-76
केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम लि०, कलकत्ता .	121.83	82.50	1975-76
	(1977-78 में वसूल किए गए मूलधन के 67.20 लाख रु०)		
दिल्ली परिवहन निगम, नई दिल्ली . .	2747.76	2250.46	1966-67
जहाजरानी विकास निधि समिति, नई दिल्ली .	..	3463.92	1973-74
विशाखापत्तनम डॉक लेबर बोर्ड, विशाखापत्तनम*	0.06	0.09	1975-76
मद्रास डॉक लेबर बोर्ड मद्रास* . .	1.70	0.20	1975-76
दिल्ली शिक्षित व्यक्ति सहकारी परिवहन समिति, दिल्ली (परिसमापनाधीन)* . .	1.05	0.27	1962-63
	4560.09	8768.61	
इस्पात और खान मंत्रालय			
(इस्पात विभाग)			
भारतीय स्टील अथारिटी लि०, नई दिल्ली .	83.33	..	1975-76
उड़ीसा खनन निगम लि०, भुवनेश्वर .	..	93.77	1976-77
	83.33	93.77	

*संस्था के सामने दिए गए आंकड़े लेखाओं के पूर्व विभागीयकरण की तारीख तक के हैं। लेखाओं के विभागीयकरण के बाद की अवधि के लिए सूचना अभी प्रतीक्षित है।

1	2	3	4
इस्पात और खान मंत्रालय			
(खनन विभाग)			
हिन्दुस्तान कापर लि०, कलकत्ता . .	100.00	1727.03	1968-69
भारत गोल्ड माइन्स लि०, ऊरगांव . .	184.89	112.33	1973-74
सिक्किम खनन निगम लि०, रंगपो, सिक्किम	14.30	8.13	1967-68
	299.19	1847.49	
पर्यटन और सिविल विमानन मंत्रालय			
करन एन्टरप्राइजेज (प्रा०) लि०, हैदरबाद .	6.86	6.15	**
रिट्ज कॉन्टीनेन्टल होटल्स लि०, कलकत्ता .	3.75	1.24	**
होटल हॉरीजन (प्रा०) लि० बम्बई, .	44.46	23.87	**
	(1977-78 में वसूल किए गए ब्याज के 13.10 लाख रु०)		
पीम होटल्स (प्रा०) लि०, बम्बई . .	42.80	10.25	**
	(1977-78 में वसूल किया गया ब्याज)		
ईस्ट वेस्ट होटल्स (प्रा०) लि०, बंगलौर .	3.16	6.82	**
आड्यर गेट होटल (प्रा०) लि०, मद्रास .	9.37	3.42	**
	110.40	51.75	
निर्माण आवास और आपूर्ति मंत्रालय			
वाटर सप्लाई सीवेज डिसपोजल अंडरटेकिंग, दिल्ली*	499.88	599.42	1970-71
दिल्ली नगर निगम, दिल्ली* . .	141.21	72.71	1965-66
उड़ीसा उद्योग लि०, बैरंग, कटक* .	..	0.67	1960-61
	641.09	672.80	

*संस्था के सामने दिए गए आंकड़े लेखाओं के पूर्व विभागीयकरण की तारीख तक के हैं। लेखाओं के विभागीयकरण के बाद की अवधि के लिए सूचना अभी प्रतीक्षित है।

**सूचना प्रतीक्षित है।

परिशिष्ट III

(पैराग्राफ 23 देखें)

पूरक अनुदानों/विनियोगों के उपयोग की सीमा

क्रम सं०	अनुदान/विनियोग	अनुदान/विनियोग की राशि		वास्तविक व्यय	बचत (कालम 3+4—5)
		मूल	पूरक		
1	2	3	4	5	6
	वे मामले जिनमें पूरक अनुदान/विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुए।				
	राजस्व—दत्तमत				
					(लाख रुपयों में)
	कृषि और सिंचाई मंत्रालय				
1.	4—पशुपालन एवं डेरी विकास . .	3,687.08	98.95	3,326.86	459.17
	शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय				
2.	27—शिक्षा . .	16,297.13	0.02	15,948.62	348.53
	ऊर्जा मंत्रालय				
3.	30—विद्युत विकास .	5,518.86	0.01	4,580.62	938.25
	राजस्व एवं बैंकिंग विभाग				
4.	43—संघ उत्पाद शुल्क .	4,285.00	78.14	3,922.44	440.70
5.	45—अफीम एवं अल्कलायड फैक्टरियां .	2,550.00	88.63	2,530.32	108.31
	गृह मंत्रालय				
6.	54—गृह मंत्रालय का अन्य व्यय . .	13,651.72	152.55	13,406.21	398.06
	उद्योग एवं सिविल आपूर्ति मंत्रालय				
7.	62—ग्रामोद्योग और लघु उद्योग . .	3,278.98	42.81	3,226.06	95.73

1	2	3	4	5	6
					(लाख रुपयों में)
	पर्यटन एवं सिविल विमानन मंत्रालय				
8.	90—मौसम विज्ञान .	1,127.32	0.01	974.58	152.75
9.	92—पर्यटन . .	385.89	24.05	370.88	39.06
	निर्माण-कार्य एवं आवास मंत्रालय				
10.	97—लेखन सामग्री एवं मुद्रण	2,857.31	14.88	2,753.36	118.83
	परमाणु ऊर्जा विभाग				
11.	98—परमाणु ऊर्जा विभाग	44.02	1.00	42.53	2.49
	राजस्व—प्रभारित				
	वित्त मंत्रालय				
12.	35—लेखापरीक्षा .	94.13	0.05	93.79	0.39
	राजस्व एवं बैंकिंग विभाग				
13.	43—संघ उत्पाद शुल्क .	0.83	0.43	0.48	0.78
	गृह मंत्रालय				
14.	51—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग .	0.05	0.24	..	0.29
	जहाजरानी एवं परिवहन मंत्रालय				
15.	79—जहाजरानी एवं परिवहन मंत्रालय .	..	0.12	..	0.12
	इस्पात एवं खान मंत्रालय				
16.	85—खान एवं खनिज .	..	0.04	..	0.04
	संसद, संसदीय मामलों का विभाग, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के सचिवालय और संघ लोक सेवा आयोग				
17.	राष्ट्रपति के कर्मचारी, घरेलू कर्मचारी और भत्ते .	67.67	1.23	66.08	2.82
	पुंजीगत—दत्तमत				
	वाणिज्य मंत्रालय				
18.	14—विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन .	38,438.84	4,068.03	28,275.89	14,230.98

1	2	3	5	5	6
					(लाख रुपयों में)
	गृह मंत्रालय				
19.	57—अंडमान और निकोबार महाद्वीप . .	970.30	2.24	896.76	75.78
20.	59—लक्षद्वीप .	108.30	16.54	102.84	22.00
	उद्योग एवं सिविल आपूर्ति मंत्रालय				
21.	62—ग्रामोद्योग एवं लघु उद्योग	3,366.95	0.02	3,332.02	34.95
	इस्पात एवं खान मंत्रालय				
22.	83—इस्पात विभाग .	41,488.50	728.81	37,645.67	4,571.64
	पुनर्वास विभाग				
23.	88—पुनर्वास विभाग .	946.77	46.01	905.19	87.59
	पर्यटन एवं सिविल विमानन मंत्रालय				
24.	90—मौसम विज्ञान .	203.20	0.01	58.36	144.85
	निर्माण एवं आवास मंत्रालय				
25.	94—लोक निर्माण कार्य .	1,475.16	161.80	1,404.78	232.18
26.	96—आवास एवं शहरी विकास . .	2,027.28	1.00	1,831.73	196.55
	परमाणु ऊर्जा विभाग				
27.	99—परमाणु ऊर्जा अनुसंधान विकास एवं औद्योगिक परियोजनाएं .	9,452.77	0.01	7,955.94	1,496.84
	पूंजीगत—प्रभारित				
	कृषि और सिंचाई मंत्रालय				
28.	6—खाद्य विभाग .	19.25	5.75	16.00	9.00
	गृह मंत्रालय				
29.	55—दिल्ली .	250.00	4.04	174.19	79.85

परिशिष्ट IV

(पैराग्राफ 25 देखें)

वत्तमत अनुदानों के अन्तर्गत बचत

क्रम संख्या	अनुदान	कुल अनुदान	व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6

दत्तमत अनुदान, जहां बचत (प्रत्येक मामले में 5 लाख रु० से अधिक) अंतिम अनुदान से 20 प्रतिशत अधिक थी, नीचे दिए गए हैं:—

(लाख रुपयों में)

राजस्व

1. 82—सड़क एवं अंतर्देशीय जल परिवहन .	107.44	50.83	56.61	52.7
2. 37—पेंशन . .	6,300.00	3,217.11	3,082.89	48.9
3. 31—कोयला और लिग्नाइट	2,234.64	1,143.76	1,090.88	48.8
4. 103—इलैक्ट्रानिक्स विभाग	775.72	468.15	307.57	39.6
5. 91—विमानन .	2,681.03	2,048.52	632.51	23.6
6. 75—योजना आयोग .	471.11	364.45	106.66	22.6
7. 100—न्यूक्लीय विद्युत योजनाएं . .	3,852.30	3,036.97	815.33	21.2

पूंजीगत

8. 68—श्रम और नियोजन	9.88	0.04	9.84	99.6
9. 90—मौसम विज्ञान .	203.21	58.36	144.85	71.3
10. 45—अफीम एवं अल्कलायड फैक्टरियां . .	67.37	23.35	44.02	65.3
11. 34—स्टाम्प . .	184.25	83.97	100.28	54.4
12. 92—पर्यटन . .	427.40	209.88	217.52	50.9

1	2	3	4	5	6
					(लाख रुपयों में)
13.	58—दादरा एवं नगर हवेली	135.65	72.89	62.76	46.3
14.	14—विदेश व्यापार एवं निर्यात उत्पादन .	42,506.87	28,275.89	14,230.98	33.9
15.	4—पशुपालन एवं डेरी विकास . .	385.99	263.48	122.51	31.7
16.	82—सड़क एवं अंतर्देशीय जल परिवहन . .	1,305.43	903.74	401.69	30.8
17.	15—संचार मंत्रालय .	836.00	642.00	194.00	23.2
18.	91—विमानन .	2,542.82	1,990.53	552.29	21.7
19.	65—सूचना एवं प्रचार	115.50	91.06	24.44	21.2
20.	10—सिंचाई विभाग .	678.50	535.78	142.72	21.0
21.	2—कृषि . .	55,645.95	44,242.96	11,402.99	20.5

परिशिष्ट V

(देखिए पैराग्राफ 28)

वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाली गई/छोड़ दी गई हानियों और वसूल न हो सकने योग्य राजस्व, शुल्क, पेशगियों आदि और अनुग्रहपूर्वक की गई अदायगियों को दर्शाने वाला विवरण।

1976–77 के दौरान मुख्यतः चोरी, आगजनी आदि के कारण हुई हानियों, और वसूल न हो सकने योग्य राजस्व, शुल्क, पेशगियों आदि के 1,825 मामलों में 46.44 लाख रु० की राशि बट्टे खाते डाली गई थी/छोड़ी गई थी और 174 मामलों में 124.83 लाख रु० की अनुग्रहपूर्वक अदायगियां की गई थी, जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

मंत्रालय/विभाग का नाम	बट्टे खाते डाली गई हानियां, वसूल न हो सकने योग्य राजस्व, शुल्क, पेशगियां आदि		वसूली का अधित्याग		अनुग्रहपूर्वक अदायगियां	
	मामलों की संख्या	राशि (रु०)	मामलों की संख्या	राशि (रु०)	मामलों की संख्या	राशि (रु०)
1	2	3	4	5	6	7
कृषि और सिंचाई	58	4,14,992	..	..	..	..
वाणिज्य	..	..	..	..	146	122,96,636*
शिक्षा और समाज कल्याण	2	1,69,278	6	9,516	..	..
ऊर्जा	257	9,09,293	4	2,378	..	..
विदेश मंत्रालय	..	..	23	11,515	..	..

1	2	3	4	5	6	7
वित्त . .	12	2,848	..	..	..	..
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	17	1,293	..	..	..	..
गृह मंत्रालय .	27	53,597	2	3,313	..	..
उद्योग . .	5	32,117	2	176	..	..
सूचना और प्रसारण .	8	7,427	..	..	..	..
श्रम . .	1	251	..	..	..	..
योजना . .	2	967	..	..	..	..
जहाजरानी और परिवहन .	1,193	26,56,024	17	5,147	28	1,86,723
इस्पात और खान .	3	19,655	..	..	..	..
पूर्ति और पुनर्वास .	125	1,99,603	1	415	..	..
पर्यटन और सिविल विमानन	1	4,700	1	4,445	..	..
निर्माण और आवास .	15	84,565	..	..	..	..
परमाणु शक्ति . .	21	20,082	..	..	..	..
संस्कृति . .	1	700	1	491	..	..
अन्तरिक्ष . .	18	25,185	2	4,470	..	..
जोड़ . .	1,766	46,02,577	59	41,866	174	124,83,359

*यह पाकिस्तान सरकार द्वारा 1965 में हुए भारत-पाक युद्ध के दौरान और उसके बाद जब्त की गई सम्पत्तियों के लिए भारतीय नागरिकों/कम्पनियों को की गई अदायगियों का द्योतक है।

परिशिष्ट VI

(देखिये पैराग्राफ 31)

सांविधिक निकायों, गैर-सरकारी संस्थाओं या निकायों और व्यक्तियों को सहायक अनुदान

मंत्रालय/विभाग	राशि (लाख रुपयों में)
कृषि और सिंचाई	67,44,06
केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स	19.00
वाणिज्य	93,01.90
संचार	1.32
रक्षा	10.40
शिक्षा और समाज कल्याण	1,39,43.38
ऊर्जा	1,52.46
विदेश	76.69
वित्त*	200.74*
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	20,26.21
गृह	27,03.21
उद्योग और सिविल पूर्ति	34,83.79
सूचना और प्रसारण	1,58.71
श्रम	1,43.10
विधि, न्याय और कंपनी कार्य	27.44
पेट्रोलियम	0.21
योजना	56,88.34
जहाजरानी और परिवहन	16,86.90
इस्पात और खान	55,86.55
पूर्ति और पुनर्वास	1.52
पर्यटन और सिविल विमानन	1,82.67
निर्माण और आवास	21.08
परमाणु ऊर्जा	6,65.98
संस्कृति	3,48.92
इलेक्ट्रानिक्स	2,86.74
अन्तरिक्ष	1,61.30
जोड़	5,36,22.62

*इसमें राजस्व और बैंकिंग विभाग की राशि भी शामिल है।

MGIPRND—S/3AGCR/78—TSS-I—9-8-78—400

MOLDAVIA—2-VAGCB(2)—1258—3-10-58—400